रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 27 नवम्बर, 2021 ई० (अग्रहायण 6, 1943 शक संवत्) [संख्या 48

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	833–864	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1569–1580	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	5–8	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	849–883	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

समाज कल्याण विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

26 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 2103/26-1-2021-3(33)/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
01	श्री विपिन कुमार पाण्डेय पुत्र श्री आर0पी0 पाण्डेय	गोरखपुर	स्थायी पता— द्वारा—श्री आर0पी0 पाण्डेय, चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, रेलवे इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट, निकट रेलवे पोस्ट आफिस, गोरखपुर। पिन-273012 पत्र व्यवहार का पता— म0नं0-203 कोसी हास्टल, एन0आई0टी0, पटना बिहार। पिन-800005	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2—श्री विपिन कुमार पाण्डेय की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्री विपिन कुमार पाण्डेय द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है—

(1) श्री पाण्डेय कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ निम्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि श्री पाण्डेय द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक

नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्री पाण्डेय द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3—ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4—यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे—

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5—यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6—निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7—निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2104/26-1-2021-3(33)/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
02	श्री आशीष कुमार सिंह पुत्र श्री राम बहादुर सिंह	प्रयागराज	स्थायी/पत्र-व्यवहार का पता— द्वारा—श्री राम बहादुर सिंह, ग्राम व पोस्ट पूरे केशव राय, प्रयागराज। पिन-230502	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–श्री आशीष कुमार सिंह की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्री आशीष कुमार सिंह द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) श्री सिंह कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि श्री सिंह द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्री सिंह द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरूष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरूष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5–यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6–निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7–निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2105/26-1-2021-3(33)/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के

वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
03	श्रीमती अनामिका सिंह पत्नी श्री राणा विक्रान्त सिंह	लखनऊ	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– एस0एस0ई0 203, सेक्टर-एफ एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। पिन-226012	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–श्रीमती अनामिका सिंह की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्रीमती अनामिका सिंह द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) श्रीमती सिंह कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि श्रीमती सिंह द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्रीमती सिंह द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5–यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6–निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7–निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2106/26-1-2021-3(33)/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
04	सुश्री प्राची जोशी पुत्री श्री मोहन लाल जोशी	जयपुर (राजस्थान)	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– द्वारा–श्री मोहन लाल जोशी, 6220 सेक्टर-6, सेवपुर रोड, प्रतापनगर, जयपुर। पिन-302033	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–सुश्री प्राची जोशी की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति सुश्री प्राची जोशी द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) सुश्री जोशी कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि सुश्री जोशी द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि सुश्री जोशी द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल

नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3—ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4—यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कलयाण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे—

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5—यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6—निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7—निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2107/26-1-2021-3(33)/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
05	श्री शशि शेखर पुत्र श्री सतीश कुमार मिश्रा	वाराणसी	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता— द्वारा—श्री सतीश कुमार मिश्रा, एस0एच0-8-50, ख-10, शेखर हास्पिटल, बाईपास रोड शिवपुर, वाराणसी, पिन-221002	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2—श्री शेखर की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्री शेखर द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है—

(1) श्री शेखर कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि श्री शेखर द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्री शेखर द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3—ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4—यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कलयाण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे—

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5—यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6—निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7—निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2108/26-1-2021-3(33)/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के

वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
06	सुश्री अनुराधा पुत्री श्री प्रदीप सुनेजा	रोहतक (हरियाणा)	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– 1007/18 घनीपुरा, रोहतक, हरियाणा पिन कोड-124001	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–सुश्री अनुराधा की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति सुश्री अनुराधा द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) सुश्री अनुराधा कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि सुश्री अनुराधा द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि सुश्री अनुराधा द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कलयाण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5–यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6–निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7–निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2109/26-1-2021-3(33)/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
07	श्री सत्यम त्रिपाठी पुत्र श्री प्रवीण त्रिपाठी	कानपुर नगर	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– द्वारा–श्री प्रवीण त्रिपाठी, प्लाट नं0–32ए अराजी नं0–1626, मिर्जापुर नई बस्ती, कल्याणपुर, कानपुर नगर, पिन कोड-208017	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–श्री सत्यम त्रिपाठी की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्री सत्यम त्रिपाठी द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) श्री त्रिपाठी कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि श्री त्रिपाठी द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि

श्री त्रिपाठी द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कलयाण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5–यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6–निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7–निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2110/26-1-2021-3(33)/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
08	श्री हर्षित सिंह पुत्र श्री नीरज सिंह	गौतमबुद्ध नगर	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– द्वारा–श्री नीरज सिंह, सी0 1-1104, पंचशील ग्रीन्स, प्लाट-घ 01ए, सेक्टर-16बी, गौतमबुद्ध नगर, पिन कोड-201301	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2—श्री हर्षित सिंह की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्री हर्षित सिंह द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है—

(1) श्री सिंह कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि श्री सिंह द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्री सिंह द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3—ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4—यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कलयाण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे—

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5—यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6—निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7—निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2111/26-1-2021-3(33)/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के

वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
09	श्री दिनेश गोदारा पुत्र श्री भनवारू राम	जोधपुर (राजस्थान)	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– द्वारा–श्री भनवारू राम, पो0नं0–16, महेश नगर, गोकुल जी की प्याऊ, जोधपुर पिन कोड-342304	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–श्री दिनेश गोदारा की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्री दिनेश गोदारा द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) श्री गोदारा कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि श्री गोदारा द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्री गोदारा द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कलयाण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5–यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6–निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7–निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2112/26-1-2021-3(33)/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
10	सुश्री पंखुरी जैन पुत्री श्री मनोज कुमार जैन	गौतमबुद्ध नगर	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– द्वारा–श्री मनोज कुमार जैन, 1405 पवैलियन हाइट्स 3, जेपी ग्रीन्स विश टाउन, सेक्टर–128, गौतमबुद्धनगर, पिन कोड-201304	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–सुश्री पंखुरी जैन की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति सुश्री पंखुरी जैन द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) सुश्री जैन कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि सुश्री जैन द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि

सुश्री जैन द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5–यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6–निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7–निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2113/26-1-2021-3(33)/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
11	श्री पवन कुमार यादव पुत्र श्री राम विलास यादव	संतकबीर नगर	स्थायी पता–ददरा कुनवा, संतकबीरनगर, पिन कोड-272271 पत्र व्यवहार का पता–280 सेक्टर-एच, पुरनिया अलीगंज, लखनऊ, पिन कोड-226024	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2—श्री पवन कुमार यादव की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्री पवन कुमार यादव द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है—

(1) श्री यादव कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि श्री यादव द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्री यादव द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3—ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4—यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे—

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5—यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6—निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7—निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2114/26-1-2021-3(33)/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर

रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
12	श्री राम शंकर पटेल पुत्र श्री राम विलास पटेल	जालौन	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– द्वारा–श्री श्याम कुमार पटेल, कोंच, न्यू पटेल नगर ब्लाक, जालौन, पिन कोड-285205	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–श्री राम शंकर पटेल की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्री राम शंकर पटेल द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) श्री पटेल कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि श्री पटेल द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्री पटेल द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5—यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6—निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7—निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2115/26-1-2021-3(33)/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
13	श्रीमती सूरज कुमारी, पत्नी श्री सुशील कुमार	काशीराम नगर (कासगंज)	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता— द्वारा—श्री रूप किशोर वर्मा, ग्रा0—बरखुरदार पुर, जखेरा, काशीराम नगर (कासगंज), पिन कोड-207124	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2—श्रीमती सूरज कुमारी की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्रीमती सूरज कुमारी द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है—

(1) श्रीमती सूरज कुमारी कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि श्रीमती सूरज कुमारी द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्रीमती सूरज कुमारी द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3—ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4—यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे—

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5—यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6—निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7—निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2116/26-1-2021-3(33)/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
14	सुश्री सविता देवी, पुत्री श्री जहर सिंह	झांसी	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता— द्वारा—श्री जहर सिंह, ग्रा0 व पो0-बदोखरी, थाना-समथर, झांसी, पिन कोड-284304	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2—सुश्री सविता देवी की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति सुश्री सविता देवी द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है—

(1) सुश्री सविता देवी कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि सुश्री सविता देवी द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि सुश्री सविता देवी द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3—ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4—यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे—

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5—यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6—निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7—निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2117/26-1-2021-3(33)/2021—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के

वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
15	श्री विनित कुमार मलिक, पुत्र श्री कुलतार सिंह मलिक	शामली	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– द्वारा–श्री कुलतार सिंह, ग्राम व पो0-बहवरी, शामली, पिन कोड-247776	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–श्री विनित कुमार मलिक की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्री विनित कुमार मलिक द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) श्री मलिक कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि श्री मलिक द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्री मलिक द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5–यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6–निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7–निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2118/26-1-2021-3(33)/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
16	श्री विपिन वर्मा, पुत्र श्री श्याम लाल वर्मा	बाराबंकी	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– द्वारा–श्री श्याम लाल वर्मा बी 35, शिवपुरी कल्याणपुर, लखनऊ, पिन कोड-226022	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–श्री विपिन वर्मा की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्री विपिन वर्मा द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) श्री वर्मा कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि श्री वर्मा द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्री वर्मा द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार

निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5–यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6–निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7–निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2119/26-1-2021-3(33)/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
17	सुश्री शालिनी, पुत्री श्री कृष्ण मोहन	उन्नाव	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– द्वारा–श्री कृष्ण मोहन, एलआईजी 83 सेक्टर-ए, पीडी नगर, उन्नाव, पिन कोड-209801	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–सुश्री शालिनी की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति सुश्री शालिनी द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) श्री वर्मा कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि सुश्री शालिनी द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि सुश्री शालिनी द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5–यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6–निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7–निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2120/26-1-2021-3(33)/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के

वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
18	सुश्री नीलम सिंह चौहान, पुत्री श्री राम प्रकाश सिंह चौहान	अलीगढ़	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– द्वारा–524, एच–7, राज नगर कालोनी, आईटीआई रोड, अलीगढ़ पिन कोड-202001	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–सुश्री नीलम सिंह चौहान की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति सुश्री नीलम सिंह चौहान द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) सुश्री चौहान कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि सुश्री चौहान द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि सुश्री चौहान द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5–यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6–निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7–निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2121/26-1-2021-3(33)/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	
19	सुश्री सृष्टि अवस्थी, पुत्री श्री धर्मेन्द्र अवस्थी	कानपुर नगर	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– द्वारा–127/291 यू ब्लाक, रतनदीप अपार्टमेंट फेस–3, निराला नगर, कानपुर नगर, पिन कोड-208014	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–सुश्री सृष्टि अवस्थी की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति सुश्री सृष्टि अवस्थी द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) सुश्री अवस्थी कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि सुश्री अवस्थी द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि सुश्री अवस्थी द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल

नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5–यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6–निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7–निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2122/26-1-2021-3(33)/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
20	सुश्री रेनू, पुत्री श्री राजवीर सिंह	मैनपुरी	स्थायी पता– ग्रा0–नागला किंदर, पो0–कुंदरी, थाना–अलऊ, तह0–भोंगांव, मैनपुरी, पिन कोड–205247 पत्र व्यवहार का पता–सेक्टर-1, म0नं0-83 आवास विकास कालोनी, मैनपुरी, पिन कोड-205001	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–सुश्री रेनू की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति सुश्री रेनू द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) सुश्री रेनू कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि सुश्री रेनू द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि सुश्री रेनू द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5–यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6–निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7–निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2123/26-1-2021-3(33)/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के

वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
21	श्री जीतेन्द्र नारायण वर्मा, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा	कानपुर नगर	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– द्वारा–श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा, 82 संजीव नगर जीटी रोड अहिरवां, हरिजिंदर नगर, कानपुर नगर, पिन कोड-208007	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–श्री जीतेन्द्र नारायण वर्मा की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्री जीतेन्द्र नारायण वर्मा द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) श्री वर्मा कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि श्री वर्मा द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्री वर्मा द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कलयाण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5–यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6–निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7–निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2124/26-1-2021-3(33)/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
22	सुश्री प्रियंका यादव, पुत्री श्री राम नरेश यादव	बाराबंकी	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– द्वारा–श्री राम नरेश यादव, ग्रा0–दहेजिया, पो0–नैनामऊ, बाराबंकी, पिन कोड-225204	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0 लखनऊ पिनकोड-226001

2–सुश्री प्रियंका यादव की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्री जीतेन्द्र नारायण वर्मा द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है–

(1) सुश्री यादव कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि सुश्री यादव द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि सुश्री यादव द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल

नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3–ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4–यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे–

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5–यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6–निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7–निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 2125/26-1-2021-3(33)/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	
23	श्री अवनीश कुमार यादव, पुत्र श्री करन पाल सिंह यादव	फिरोजाबाद	स्थायी/पत्र व्यवहार का पता– द्वारा–श्री करन पाल सिंह यादव, नगला अखाई, कोटला, फिरोजाबाद, पिन कोड-283206	निदेशालय, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, उ0प्र0, लखनऊ पिनकोड-226001

2—श्री अवनीश कुमार यादव की जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति श्री अवनीश कुमार यादव द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है—

(1) श्री यादव कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही हैं।

(2) यदि श्री यादव द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्री यादव द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुये उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3—ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4—यह भी निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे—

(1) चल व अचल सम्पत्ति एवं संबंधित घोषणा-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये), ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3) शैक्षिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र।

(4) चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचत हों, किन्तु उनके संबंधी न हों।

5—यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को नहीं देते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6—निदेशक, समाज कल्याण को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7—निदेशालय, समाज कल्याण के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—35 हिन्दी गजट—भाग 1—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 नवम्बर, 2021 ई० (अग्रहायण 6, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

April 09, 2021

No. 353/Admin.(Services)-2021–Sri Ashok Kumar Yadawa-II, Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Special Judge, Barabanki for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Nitya Nand Shrinet.

No. 354/Admin.(Services)-2021–Sri Nitya Nand Shrinet, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Additional District & Sessions Judge, Barabanki.

No. 355/Admin.(Services)-2021–Sri Jamshed Ali, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Balrampur to be Special Judge, Muzaffar Nagar for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Virendra Kumar Pandey.

No. 356/Admin.(Services)-2021–Sri Virendra Kumar Pandey, Special Judge/ Additional District & Sessions Judge, Muzaffar Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Sonbhadra.

No. 357/Admin.(Services)-2021–Sri Ashok Kumar-XI, Additional District & Sessions Judge, Sonbhadra to be Special Judge, Sonbhadra for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Santosh Kumar Gautam.

No. 358/Admin.(Services)-2021–Sri Santosh Kumar Gautam, Special Judge/ Additional District & Sessions Judge, Sonbhadra to be Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur.

No. 359/Admin.(Services)-2021–Sri Sanjay Kumar Yadav-II, Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Additional District & Sessions Judge, Firozabad.

No. 360/Admin.(Services)-2021–Sri Anurag Sharma, Additional District & Sessions Judge, Firozabad to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Firozabad for trying cases of crime against women *vice* Sri Sudhakar Dubey.

No. 361/Admin.(Services)-2021–Sri Sudhakar Dubey, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Firozabad to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Hardoi against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Vayu Nandan Mishra.

No. 362/Admin.(Services)-2021–Sri Vayu Nandan Mishra, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Hardoi to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mirzapur for trying cases of crime against women *vice* Sri Jeetendra Mishra.

No. 363/Admin.(Services)-2021–Sri Jeetendra Mishra, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Mirzapur to be Additional District & Sessions Judge, Mirzapur.

No. 364/Admin.(Services)-2021–Sri Virendra Nath Pandey, Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Additional District & Sessions Judge, Aligarh.

No. 365/Admin.(Services)-2021–Sri Anshuman Patnaik, Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Barabanki for trying cases of crime against women *vice* Smt. Nazneen Bano.

No. 366/Admin.(Services)-2021–Smt. Nazneen Bano, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Barabanki to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Barabanki against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Smt. Jyoti Singh.

No. 367/Admin.(Services)-2021–Smt. Jyoti Singh, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Barabanki to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court) Aligarh for trying cases of crime against women *vice* Sri Anupam Singh.

No. 368/Admin.(Services)-2021–Sri Anupam Singh, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Aligarh to be Additional District & Sessions Judge, Aligarh.

No. 369/Admin.(Services)-2021–Sri Abhay Krishna Tiwari, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Siddharth Nagar.

No. 370/Admin.(Services)-2021–Sri Ram Chandra Yadav-I, Additional District & Sessions Judge, Siddharth Nagar to be Special Judge, Banda for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Ram Karan-II.

No. 371/Admin.(Services)-2021–Sri Ram Karan-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Banda to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lucknow *vice* Smt. Shivani Jayaswal.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Lucknow against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 372/Admin.(Services)-2021–Smt. Shivani Jayaswal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 373/Admin.(Services)-2021–Sri Anand Prakash Singh, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Mau.

No. 374/Admin.(Services)-2021–Smt. Reshma Chaudhary, Additional Principal Judge, Family Court, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Shamli at Kairana.

No. 375/Admin.(Services)-2021–Sri Rajat Verma, Additional District & Sessions Judge,

Shamli at Kairana to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 376/Admin.(Services)-2021–Smt. Sapna Shukla, Additional Principal Judge, Family Court, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Siddharth Nagar.

No. 377/Admin.(Services)-2021–Sri Mohd. Ahmad Khan, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Special Court No. 2 (Prevention of Corruption Act), Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Fatehpur.

No. 378/Admin.(Services)-2021–Smt. Parul Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Fatehpur to be Additional District & Sessions Judge, Etawah.

No. 379/Admin.(Services)-2021–Dr. Vijay Kumar, Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge, Bijnor.

No. 380/Admin.(Services)-2021–Smt. Kavita Mishra, Additional Principal Judge, Family Court, Basti to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 381/Admin.(Services)-2021–Sri Om Prakash Verma-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Special Judge, Azamgarh for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Dhruva Rai.

No. 382/Admin.(Services)-2021–Sri Dhruva Rai, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 383/Admin.(Services)-2021–Sri Avadhesh Pandey, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge, Firozabad.

No. 384/Admin.(Services)-2021–Dr. Keshav Goyal, Additional District & Sessions Judge, Firozabad to be Additional District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 385/Admin.(Services)-2021–Sri Rajeev Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Budaun to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court) Budaun for trying cases of crime against women *vice* Smt. Sarika Goyal.

No. 386/Admin.(Services)-2021–Smt. Sarika Goyal, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Budaun to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court) Budaun against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Rajeev Kumar Singh.

No. 387/Admin.(Services)-2021–Sri Manraj Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge, Ghazipur.

No. 388/Admin.(Services)-2021–Sri Ajay Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 389/Admin.(Services)-2021–Sri Arvind Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, Anoopshahar (Bulandshahar) to be Additional District & Sessions Judge, Kushambi.

No. 390/Admin.(Services)-2021–Sri Pramod Kumar-IV, Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 391/Admin.(Services)-2021–Sri Abhishek Upadhyaya, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 392/Admin.(Services)-2021–Sri Yogesh Dubey, Additional District & Sessions Judge, Chandauli to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court) Chandauli against the Fast

Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Brijesh Kumar Yadav.

No. 393/Admin.(Services)-2021–Sri Brijesh Kumar Yadav, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Chandauli to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bareilly for trying cases of crime against women.

No. 394/Admin.(Services)-2021–Sri Arvind Kumar Yadav-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Chandauli to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 395/Admin.(Services)-2021–Sri Rajendra Prasad, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Chandauli.

No. 396/Admin.(Services)-2021–Smt. Kusum Lata, Additional District & Sessions Judge, Chitrakoot to be Additional District & Sessions Judge, Amroha.

No. 397/Admin.(Services)-2021–Sri Swapan Deep Singhal, Additional District & Sessions Judge, Amroha to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court) Amroha against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Vidya Bhushan Pandey.

No. 398/Admin.(Services)-2021–Sri Vidya Bhushan Pandey, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Amroha to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court) Gonda against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Jitendra Gupta.

No. 399/Admin.(Services)-2021–Sri Jitendra Gupta, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Gonda to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Gonda for trying cases of crime against women in the vacant court.

No. 400/Admin.(Services)-2021–Sri Ashutosh Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge Chitrakoot to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sonbhadra for trying cases of crime against women in the vacant court.

No. 401/Admin.(Services)-2021–Sri Pradeep Kumar Mishra, Additional District & Sessions Judge, Chitrakoot to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 402/Admin.(Services)-2021–Sri Mohan Kumar,Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 403/Admin.(Services)-2021–Sri Sunil Prasad, Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 404/Admin.(Services)-2021–Sri Alok Dubey, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Rampur.

No. 405/Admin.(Services)-2021–Sri Naveen Kumar Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Deoriato be Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 406/Admin.(Services)-2021–Sri Mahesh Kumar Kushwaha, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Maharajganj.

No. 407/Admin.(Services)-2021–Sri Vishambhar Prasad, Additional District & Sessions Judge, Mahrajganj to be Additional District & Sessions Judge, Kannauj.

No. 408/Admin.(Services)-2021–Sri Subhodh Bharti, Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etah *vice* Sri Manish Kumar-I.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Etah against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 409/Admin.(Services)-2021–Sri Manish Kumar-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge, Allahabad.

No. 410/Admin.(Services)-2021–Dr. Mohammad Iliyas, Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 411/Admin.(Services)-2021–Sri Dinesh Kumar Chaurasia, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge, Mau.

No. 412/Admin.(Services)-2021–Sri Kashi Prasad Singh Yadav, Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge, Jaunpur.

No. 413/Admin.(Services)-2021–Sri Suresh Chandra Arya, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Faizabad to be Additional District & Sessions Judge, Jalaun at Orai.

No. 414/Admin.(Services)-2021–Smt. Reeta Gupta, Additional District & Sessions Judge, Jalaun at Orai to be Special Judge, Sitapur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Rahul Kumar Katyan.

No. 415/Admin.(Services)-2021–Sri Rahul Kumar Katyan, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Special Judge, Ballia for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Dinesh Kumar Mishra.

No. 416/Admin.(Services)-2021–Sri Dinesh Kumar Mishra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Sessions Judge, Ballia.

No. 417/Admin.(Services)-2021–Sri Pran Vijay Singh, Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 418/Admin.(Services)-2021–Sri Arvind Kumar Shukla, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Mathura.

No. 419/Admin.(Services)-2021–Smt. Shraddha Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Faizabad to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ballia for trying cases of crime against women *vice* Sri Nitin Kumar Thakur.

No. 420/Admin.(Services)-2021–Sri Nitin Kumar Thakur, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ballia to be Additional District & Sessions Judge, Ballia.

No. 421/Admin.(Services)-2021–Sri Devendra Pratap Singh, Additional District & Sessions Judge, Farrukhabad to be Additional District & Sessions Judge, Allahabad.

No. 422/Admin.(Services)-2021–Sri Harshvardhan, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Farrukhabad to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 423/Admin.(Services)-2021–Smt. Reeta Singh, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Special Judge, Ghaziabad for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Sunil Kumar-I.

No. 424/Admin.(Services)-2021–Sri Sunil Kumar-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Special Judge, Gorakhpur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Ram Baboo Yadav.

No. 425/Admin.(Services)-2021–Sri Ram Baboo Yadav, Special Judge/Additional District & Sessions

Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge Etah *vice* Km. Parul Jain.

He is also appointed under section 5 (2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Etah against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 426/Admin.(Services)-2021–Km. Parul Jain, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge, Bijnor.

No. 427/Admin.(Services)-2021–Sri Vineet Kumar Vaswani, Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Additional District & Sessions Judge, Hamirpur.

No. 428/Admin.(Services)-2021–Sushri Naseema, Additional District & Sessions Judge, Farrukhabad to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 429/Admin.(Services)-2021–Sri Umakant Jindal, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Ambedkar Nagar at Akbarpur.

No. 430/Admin.(Services)-2021–Smt. Sarla Dutta, Additional Principal Judge, Family Court Farrukhabad to be Additional District & Sessions Judge, Saharanpur.

No. 431/Admin.(Services)-2021–Sri Krishna Chandra Pandey, Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Basti *vice* Sri Mukesh Kumar Singh-I.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Basti against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 432/Admin.(Services)-2021–Sri Mukesh Kumar Singh-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge, Basti.

No. 433/Admin.(Services)-2021–Sri Abdul Quaiyum, Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-Corruption (VBUPSEB), Bareilly *vice* Sri Amit Singh-I.

No. 434/Admin.(Services)-2021–Sri Amit Singh-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 435/Admin.(Services)-2021–Sri Indra Prakash, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Bahraich.

No. 436/Admin.(Services)-2021–Sri Rakesh Kumar-VI, Additional District & Sessions Judge, Bahraich to be Special Judge, Bahraich for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Subhash Chandra-VII.

No. 437/Admin.(Services)-2021–Sri Subhash Chandra-VII, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bahraich to be Additional District & Sessions Judge, Muzaffar Nagar.

No. 438/Admin.(Services)-2021–Sri Ram Sudh Singh, Additional District & Sessions Judge, Muzaffar Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Ghazipur.

No. 439/Admin.(Services)-2021–Sri Mohd. Rizwanul Haque, Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Hardoi.

No. 440/Admin.(Services)-2021–Sri Sanjiv Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Special Judge, Hardoi for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Akhilesh Kumar Pandey.

No. 441/Admin.(Services)-2021–Sri Akhilesh Kumar Pandey, Special Judge/Additional District &

Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge, Fatehpur.

No. 442/Admin.(Services)-2021–Smt. Parul Verma, Additional District & Sessions Judge, Fatehpur to be Additional District & Sessions Judge, Hathras.

No. 443/Admin.(Services)-2021–Sri Abul Kaish, Additional District & Sessions Judge, Hathras to be Additional District & Sessions Judge, Hardoi.

No. 444/Admin.(Services)-2021–Sri Shailendra Nigam, Additional Principal Judge, Family Court, Fatehpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etawah *vice* Sri Mohammed Qamruzzama Khan.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Etawah against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 445/Admin.(Services)-2021–Sri Mohammed Qamruzzama Khan, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge, Banda.

No. 446/Admin.(Services)-2021–Sri Mridul Dubey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Firozabad to be Special Judge, Hapur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Chandra Pal-II.

No. 447/Admin.(Services)-2021–Sri Chandra Pal-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Hapur to be Additional District & Sessions Judge, Allahabad.

No. 448/Admin.(Services)-2021–Sri Alok Dwivedi, Additional Principal Judge, Family Court, Firozabad to be Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh.

No. 449/Admin.(Services)-2021–Sri Mahesh Kumar, Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pratapgarh for trying cases of crime against women in the vacant court.

No. 450/Admin.(Services)-2021–Sri Ram Mani Pathak, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sitapur for trying cases of crime against women *vice* Smt. Poornima Pathak.

No. 451/Admin.(Services)-2021–Smt. Poornima Pathak, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sitapur to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 452/Admin.(Services)-2021–Sri Pawan Kumar Sharma, Additional District & Session Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghaziabad *vice* Sri Chandra Bhan Singh.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Ghaziabad against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 453/Admin.(Services)-2021–Sri Chandra Bhan Singh, Special Judge/Additional District & Session Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Hamirpur *vice* Sri Arun Kumar Rai.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Hamirpur against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 454/Admin.(Services)-2021–Sri Arun Kumar Rai, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Hamirpur to be Additional District & Sessions Judge, Hamirpur.

No. 455/Admin.(Services)-2021–Sri Amit Veer Singh, Special Judge, Additional District & Sessions Judge, Anti-Corruption CBI, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Banda *vice* Sri Pawan Kumar Sharma.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Banda against the

Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 456/Admin.(Services)-2021–Sri Pawan Kumar Sharma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Banda to be Additional District & Sessions Judge, Sultanpur.

No. 457/Admin.(Services)-2021–Smt. Asha Rani Singh, Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge, Hardoi.

No. 458/Admin.(Services)-2021–Sri Jagdish Prasad-V, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Anti-Corruption CBI Court No. 1, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Chandauli.

No. 459/Admin.(Services)-2021–Sri Rajendra Singh-IV, Additional District & Sessions Judge, Chandauli to be Additional District & Sessions Judge, Hathras.

No. 460/Admin.(Services)-2021–Sri Yogendra Ram Gupta, Additional District & Sessions Judge, Hathras to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 461/Admin.(Services)-2021–Sri Vijay Chand Yadav, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-Corruption (VBUPSEB), Lucknow *vice* Sri Aditya Chaturvedi.

No. 462/Admin.(Services)-2021–Sri Aditya Chaturvedi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Anti-Corruption (VBUPSEB), Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 463/Admin.(Services)-2021–Smt. Ekta Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Anti-Corruption CBI Court No. 2, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Faizabad.

No. 464/Admin.(Services)-2021–Sri Mahendra Srivastva, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Unnao.

No. 465/Admin.(Services)-2021–Smt. Deepali Singh, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Unnao.

No. 466/Admin.(Services)-2021–Sri Brijesh Kumar Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Faizabad.

No. 467/Admin.(Services)-2021–Sri Gyan Prakash Tiwari-II, Additional District & Sessions Judge, Faizabad to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 468/Admin.(Services)-2021–Sri Sanjay Mishra, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge, Kaushambi.

No. 469/Admin.(Services)-2021–Sri Gaurav Kumar, Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 470/Admin.(Services)-2021–Sri Saroj Kumar Yadav, Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 471/Admin.(Services)-2021–Sri Pankaj Jaiswal, Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge, Rae Bareli.

No. 472/Admin.(Services)-2021–Sri Uma Shankar Kahar, Additional District & Sessions Judge, Rae Bareli to be Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Rae Bareli for trying cases of crime against women *vice* Smt. Neelima Singh.

No. 473/Admin.(Services)-2021–Smt. Neelima Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Rae Bareli to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sultanpur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sushri Poonam Singh-I.

No. 474/Admin.(Services)-2021–Sushri Poonam Singh-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge, Rae Bareli.

No. 475/Admin.(Services)-2021–Sri Jay Prakash, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur.

No. 476/Admin.(Services)-2021–Sri Shashi Bhushan Kumar Shandil, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-Corruption (VBUPSEB), Gorakhpur *vice* Sri Kamaluddin.

No. 477/Admin.(Services)-2021–Sri Kamaluddin, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Gorakhpur for trying cases of crime against women in the vacant court.

No. 478/Admin.(Services)-2021–Sri Ram Kripal, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Gorakhpur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission in the vacant Court.

No. 479/Admin.(Services)-2021–Smt. Vineeta Vimal, Additional Principal Judge, Family Court, Gonda to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr.

No. 480/Admin.(Services)-2021–Sri Rajesh Parasher, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr to be Additional District & Sessions Judge, Maharajganj.

No. 481/Admin.(Services)-2021–Sri Kumar Prashant, Additional Principal Judge, Family Court, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge, Etawah.

No. 482/Admin.(Services)-2021–Sri Narendra Kumar Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Special Court No. 1 (Prevention of Corruption Act), Gorakhpur to be Special Judge, Etah for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Ramesh.

No. 483/Admin.(Services)-2021–Sri Ramesh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge, Meerut.

No. 484/Admin.(Services)-2021–Sri Tabrez Ahmad, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Balrampur for trying cases of crime against women in the vacant court.

No. 485/Admin.(Services)-2021–Sri Vishnu Prasad Agarawal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Special Court No. 5 (Prevention of Corruption Act), Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge, Banda.

No. 486/Admin.(Services)-2021–Smt. Veena Narain, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Hapur to be Additional District & Sessions Judge, Kaushambi.

No. 487/Admin.(Services)-2021–Sri Anutosh Kumar Sharma, Additional District & Sessions Judge, Hapur to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 488/Admin.(Services)-2021–Smt. Deepa Rai, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge, Firozabad.

No. 489/Admin.(Services)-2021–Sri Chandra Vijay Srinet, Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 490/Admin.(Services)-2021–On reversion to the regular line, Sri Arvind Kumar Singh-II, Registrar (Judicial) (Inspection), High Court of Judicature of Allahabad to be Additional District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 491/Admin.(Services)-2021–Sri Anil Kumar Vashistha, Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar.

No. 492/Admin.(Services)-2021–Sri Avinash Chandra Mishra, Additional Principal Judge, Family Court, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge, Basti.

No. 493/Admin.(Services)-2021–Sri Vinay Arya, Additional District & Sessions Judge, Hathras to be Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur.

No. 494/Admin.(Services)-2021–Sri Yogendra Chauhan, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Hathras to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Moradabad for trying cases of crime against women *vice* Sri Sandeep Kumar Singh.

No. 495/Admin.(Services)-2021–Sri Sandeep Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Moradabad to be Additional District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 496/Admin.(Services)-2021–Sri Gulam Mustafa, Additional District & Sessions Judge, Jalaun at Orai to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr.

No. 497/Admin.(Services)-2021–Sri Saurabh Goel, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr to be Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Bulandshahr for trying cases of crime against women.

No. 498/Admin.(Services)-2021–Sri Brijesh Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Bulandshahr to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Siddharth Nagar against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission in the vacanct court.

No. 499/Admin.(Services)-2021–Smt. Nisha Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Jalaun at Orai to be Additional District & Sessions Judge, Allahabad.

No. 500/Admin.(Services)-2021–Sri Ravi Yadav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge, Ramabai Nagar.

No. 501/Admin.(Services)-2021–Sri Raj Bahadur Ram Dev Yadav, Additional District & Sessions Judge, Ramabai Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Gonda.

No. 502/Admin.(Services)-2021–Sri Nitin Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Gonda to be Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Gonda for trying cases of crime against women.

No. 503/Admin.(Services)-2021–Sri Mohd. Neyaz Ahmad Ansari, Additional Principal Judge, Family Court, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Gonda *vice* Sri Ranveer Singh.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Gonda against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 504/Admin.(Services)-2021–Sri Ranveer Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gonda to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 505/Admin.(Services)-2021–Sri Mohd. Rashid, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge Agra *vice* Sri Shiva Nand Singh.

He is also appointed under section 5 (2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Agra against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 506/Admin.(Services)-2021–Sri Shiva Nand Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Special Judge, Kaushambi for trying cases under section 14 of the

Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Kamlesh Kumar Pathak.

No. 507/Admin.(Services)-2021–Sri Kamlesh Kumar Pathak, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge, Mathura.

No. 508/Admin.(Services)-2021–Sri Sanjay Kumar Yadav-I, Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Ghazipur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Sanjay Kumar Singh-III.

No. 509/Admin.(Services)-2021–Sri Sanjay Kumar Singh-III, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Fatehpur.

No. 510/Admin.(Services)-2021–Sri Kamal Kant Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Fatehpur to be Additional District & Sessions Judge, Barabanki.

No. 511/Admin.(Services)-2021–Sri Ram Avtar Prasad, Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Barabanki *vice* Km. Manjula Sircar.

She is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Barabanki against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 512/Admin.(Services)-2021–Km. Manjula Sircar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Fatehpur *vice* Sri Ajay Kumar-I.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Fatehpur against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 513/Admin.(Services)-2021–Sri Ajay Kumar-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Fatehpur to be Additional District & Sessions Judge, Hathras.

No. 514/Admin.(Services)-2021–Smt. Rekha Singh, Additional District & Sessions Judge, Hathras to be Additional District & Sessions Judge, Maharajganj.

No. 515/Admin.(Services)-2021–Sri Abhai Srivastav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge, Sultanpur.

No. 516/Admin.(Services)-2021–Sri Sunil Kumar Singh-II, Additional Principal Judge, Family Court, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge, Hardoi.

No. 517/Admin.(Services)-2021–Sri Honey Goel, Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge, Bijnor.

No. 518/Admin.(Services)-2021–Sri Shiv Kumar Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Kannauj to be Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Kannauj against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Smt. Geetanjali Garg.

No. 519/Admin.(Services)-2021–Smt. Geetanjali Garg, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Kannauj to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Hamirpur for trying cases of crime against women *vice* Smt. Suneeta Sharma.

No. 520/Admin.(Services)-2021–Smt. Suneeta Sharma, Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Hamirpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Hamirpur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission in the vacant court.

No. 521/Admin.(Services)-2021–Sri Ravindra Kumar-II, Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions, Judge, Kushinagar at Padrauna.

No. 522/Admin.(Services)-2021–Smt. Chandra Sheela, Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions, Judge, Faizabad.

No. 523/Admin.(Services)-2021–Sri Varun Mohit Nigam, Additional District & Sessions Judge, Faizabad to be Additional District & Sessions Judge, Bahraich.

No. 524/Admin.(Services)-2021–Sri Shailendra Sachan, Additional District & Sessions Judge, Bahraich to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Moradabad *vice* Smt. Sandhya Chaudhary.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Moradabad against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 525/Admin.(Services)-2021–Smt. Sandhya Chaudhary, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Special Judge, Moradabad for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Intakhab Alam.

No. 526/Admin.(Services)-2021–Sri Intakhab Alam, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge, Sultanpur.

No. 527/Admin.(Services)-2021–Sri Anand Prakash-II, Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Special Judge, Kannauj for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Satyajeet Pathak.

No. 528/Admin.(Services)-2021–Sri Satyajeet Pathak, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kannauj to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sonbhadra against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission in the vacant court.

No. 529/Admin.(Services)-2021–Sri Satya Prakash Dwivedi, Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Unnao *vice* Sri Santosh Kumar-II.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 as Special Judge at Unnao against the Special Court created for trying cases under the said Act.

No. 530/Admin.(Services)-2021–Sri Santosh Kumar-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Unnao to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 531/Admin.(Services)-2021–Sri Chandra Prakash Tewari, Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar to be Special Judge, Ghazipur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Gulab Singh-II.

By order of the Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

पी0एस0यू0पी0–35 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 नवम्बर, 2021 ई० (अग्रहायण 6, 1943 शक संवत्)

भाग-2

आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ADMINISTRATIVE (E-1) SECTION

NOTIFICATION

November 26, 2021

No. 713/XC-4/Admin.(E-1)/2022–The proposed list of holidays to be observed in the Courts Subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad during the year 2022 is being published for suggestions and objections, if any, before it is finally sanctioned under section 15 of Act No. XII of 1887 and section 47 of U.P. Act No. IVof 1925.

Any one desirous of making any suggestions/objections may do so in writing to the Registrar General of the Court within fifteen days of publication of this Notification after which the list will be taken up for consideration and sanction.

Proposed list of holidays to be observed in the Courts Subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad during the year 2022.

Sl. no.	Holidays	Dates on which they fall	Days of the week	No. of days
1	2	3	4	5
1	Republic Day	January 26, 2022	Wednesday	1
2	Mahashivratri	March 01, 2022	Tuesday	1
3	Holi	March 17 & 18, 2022	Thursday & Friday	2
4	Ram Navami	April 10, 2022	Sunday	–
5	*Id-ul-Fitra	May 03, 2022	Tuesday	1

1	2	3	4	5
6	**Summer Vacation	June 01 to 30, 2022	Wednesday to Thursday	–
7	*Id-ul-Zuha	July 10, 2022	Sunday	–
8	*Moharram	August 09, 2022	Tuesday	1
9	Independence Day	August 15, 2022	Monday	1
10	Janmashtami	August 19, 2022	Friday	1
11	Gandhi Jayanti	October 02, 2022	Sunday	–
12	Dashehra	October 05, 2022	Wednesday	1
13	Deepawali	October 24 & 25, 2022	Monday & Tuesday	2
14	Christmas Day	December 25, 2022	Sunday	–
15	Winter Holidays	December 26 to 31, 2022	Monday to Saturday	6

NOTES :–

1. The dates marked with asterisk (*) can be re-fixed according to the local visibility of the moon.
2. Second Saturday of each month will be a holiday.
3. The District Judge shall declare five days local holidays in consultation with the District Magistrate.
4. Friday, April 15, 2022 will be a restricted holiday on account of Good Friday for Christians only.
5. Friday, April 29, 2022 will be a restricted holiday on account of Last Friday of Ramzan for Muslims only.
6. **Only Civil Work (except urgent matters) will be suspended during the period of summer vacation whereas the criminal work shall continue as usual.
7. In case any of the National or other holidays mentioned in the Calendar falls on Second Saturday or on a Sunday, it will be up to the District Judge to declare in its place additional days as holidays.
8. There shall not be less than 265 working days in the Courts Subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad in a year.
9. Every fourth Saturday shall be holiday only for Judicial Officers but working day for all purposes for other staff of the District Courts.
10. The District Judge shall declare the Courts open for Judicial working on any 02 Fourth-Saturdays in the Calendar Year-2022.
11. There is a separate list of holidays for the High Court.

By order of the Court,
ASHISH GARG,
(*H.J.S.*),
Registrar General.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

प्रशासनिक (ई-1) अनुभाग

विज्ञप्ति

26 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 714/XC-4/प्रशासनिक(ई-1)अनु0/2022–इलाहाबाद उच्च न्यायालय, के अधीनस्थ न्यायालय वर्ष 2022 में जिन पर्वो पर बन्द रहेंगे उन अवकाशों की प्रस्तावित सूची ऐक्ट संख्या XII सन् 1887 की धारा 15 तथा उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या IV सन् 1925 की धारा 47 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने के पूर्व सुझाव तथा आपत्ति, यदि कोई हो, के हेतु प्रकाशित की जाती है।

कोई व्यक्ति यदि कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहे, तो उसको लिखित रूप से महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है जिसके उपरान्त इस सूची पर विचार कर अंतिम रूप दिया जायेगा।

प्रस्तावित अवकाशों की सूची जिनके अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय वर्ष 2022 में बन्द रहेंगे

क्रम संख्या	पर्व/छुट्टियों के नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन	दिवस की संख्या
1	2	3	4	5
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2022	बुधवार	1
2	महाशिवरात्रि	01 मार्च, 2022	मंगलवार	1
3	होली	17 एवं 18 मार्च, 2022	बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार	2
4	रामनवमी	10 अप्रैल, 2022	रविवार	–
5	*ईद-उल-फित्र	03 मई, 2022	मंगलवार	1
6	**ग्रीष्मावकाश	01 से 30 जून, 2022	बुधवार से बृहस्पतिवार	–
7	*ईद-उल-जुहा	10 जुलाई, 2022	रविवार	–
8	*मोहर्रम	09 अगस्त, 2022	मंगलवार	1
9	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त, 2022	सोमवार	1
10	जन्माष्टमी	19 अगस्त, 2022	शुक्रवार	1
11	गांधी जयंती	02 अक्टूबर, 2022	रविवार	–
12	दशहरा	05 अक्टूबर, 2022	बुधवार	1
13	दीपावली	24 एवं 25 अक्टूबर, 2022	सोमवार एवं मंगलवार	2
14	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर, 2022	रविवार	–
15	शीतकालीन अवकाश	26 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2022	सोमवार से शनिवार	6

टिप्पणी–

1–तारांकित (*) तिथियां स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार पुनः निर्धारित की जा सकती है।

2–प्रत्येक मास के द्वितीय शनिवार को अवकाश रहेगा।

3– जनपद न्यायाधीश पांच दिन का स्थानीय अवकाश जिला मजिस्ट्रेट से विचार-विमर्श करके निश्चित एवं घोषित करेंगे।

4–शुक्रवार, 15 अप्रैल, 2022 को गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में केवल ईसाइयों के लिये निर्बन्धित अवकाश रहेगा।

5–शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2022 को रमज़ान के अंतिम शुक्रवार के उपलक्ष्य में केवल मुसलमानों के लिये निर्बन्धित अवकाश रहेगा।

6–**ग्रीष्मावकाश की अवधि में केवल सिविल कार्य (अत्यावश्यक मामलों को छोड़कर) स्थगित रहेंगे जबकि आपराधिक मामलों की सुनवायी यथावत् जारी रहेगी।

7–यदि कैलेण्डर में वर्णित कोई राष्ट्रीय या अन्य अवकाश, द्वितीय शनिवार या रविवार को पड़ता है तो जनपद न्यायाधीश उसके स्थान पर अतिरिक्त दिवस को अवकाश के रूप में घोषित कर सकते हैं।

8–उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य-दिवस एक वर्ष में 265 दिन से कम नहीं रहेगा।

9–प्रत्येक मास के चतुर्थ शनिवार को केवल न्यायिक अधिकारियों के लिये अवकाश रहेगा परन्तु अन्य कर्मचारियों के लिये कार्यदिवस रहेगा।

10–जनपद न्यायाधीश कैलेण्डर वर्ष 2022 में न्यायिक कार्य हेतु किन्हीं दो चतुर्थ शनिवार को कार्य दिवस घोषित करेंगे।

11–उच्च न्यायालय के अवकाशों की सूची अलग से है।

न्यायालय की आज्ञा से,
आशीष गर्ग,
उ0 न्या0 से0,
महानिबंधक।

पी0एस0यू0पी0–35 हिन्दी गजट–भाग-2–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 नवम्बर, 2021 ई० (अग्रहायण 6, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत खानपुर, जनपद बुलन्दशहर

29 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 5/न0पं0खानपुर/प्रकाशन–नगर पंचायत खानपुर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 294 सपठित धारा 298 (2) की सूची एक के शीर्षक 'क'/'A' (भवन) 'ञ'/'J'(प्रकीर्ण) (घ)/(d) के अधीन मानचित्रकार/नक्शानवीस को लाईसेंस दिये जाने का विनियमन एंव नियंत्रण करने सम्बन्धित उपविधियों को नगर पंचायत के विशेष संकल्प संख्या 5 दिनांक 14 अगस्त, 2019 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही अंतर्गत जनसामान्य एंव प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की आपत्ति एंव सुझाव आमंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'आज का मुद्दा' दिनांक 13 नवम्बर 2020 (गौतमबुद्ध नगर) के पृष्ठ संख्या 14 पर तथा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'विशाल विश्व मानव' स्याना दिनांक 14 नवम्बर, 2020 के पृष्ठ संख्या 06 पर प्रकाशित किया गया। उक्त प्रकाशन पर नियत अवधि में जनसामान्य/प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

उपरोक्त स्थिति मे सम्यक् विचार विमर्श उपरान्त नगर पंचायत खानपुर द्वारा सर्वसम्मति से विशेष संकल्प संख्या 5 दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 से सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि हेतु 'मानचित्रकार/नक्शानवीस' को लाईसेंस दिये जाने का विनियमन एवं नियंत्रण करने संबंधी उपविधियों का अनुमोदन (पुष्टि कर अंतिम स्वीकृति) किया गया। उक्त उपविधियां दिनांक 01 अप्रैल, 2021 अथवा सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक जो भी बाद मे हो, से प्रवृत्त होगी जिसका प्रकाशन उपरोक्त पालिका अधिनियम की धारा 301(2) के अधीन किया जाता है।

उपविधियाँ

1–(1) यह उपविधि नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर में "मानचित्रकार/(नक्शानवीस) को लाइसेंस दिये जाने का विनियमन एवं नियन्त्रण" उपविधि कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत खानपुर क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी।

(3)यह उपविधि 01 अप्रैल, 2021 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, जो भी बाद में हो से प्रवृत्त होगी।

2–**परिभाषायें**–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में–

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सॅ0 प्रा0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) से है।

(2) "अधिशासी अधिकारी" का अभिप्राय नगर पंचायत खानपुर के अधिशासी अधिकारी से हैं।

(3) "चेयरमैन/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर के चेयरमैन/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी से है।

(4) "अवर अभियन्ता" का तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर में निर्माण कार्यों के लिये शासन/निदेशक स्थानीय निकाय/आयुक्त/जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त/तैनात अवर अभियन्ता से है।

(5) "अनुज्ञा-पत्र" (लाईसेंस) का अर्थ इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस से हैं,

(6) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(7) "मानचित्रकार/नक्शानवीस" का अभिप्राय खानपुर नगर पंचायत के अनुज्ञा/लाइसेंस प्राप्त मानचित्रकार/नक्शानवीस से है।

स्पष्टीकरण—ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिये दिये गये हैं।

3—प्रत्येक भवन के प्रार्थना-पत्र के साथ मानचित्र/नक्शा (रेखांक) नगर पंचायत खानपुर से अनुज्ञा/लाइसेंस प्राप्त मानचित्रकार/नक्शानवीस द्वारा भवनों और प्रक्षेप (Projection) के उपनियमों के अनुसार बनाया जायेगा।

4—नगर पंचायत खानपुर की सीमान्तर्गत भवन और प्रक्षेप निर्माण हेतु मानचित्र/नक्शा बनाने के लिये कोई मानचित्रकार/नक्शानवीस तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक वह इस उपविधि के अधीन विधिवत् अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस प्राप्त न कर लें, इन उपनियमों के उद्देश्य हेतु अधिशासी अधिकारी लाइसेंस अधिकारी होंगे।

5—अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिये जारी नहीं किया जायेगा, अनुज्ञा-पत्र की अवधि वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक होगी।

6—नगर पंचायत से अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस प्राप्त करने अथवा नवीनीकरण हेतु इच्छुक मानचित्रकार/नक्शानवीस/फर्म के नाम से आवेदन शुल्क रु0 2,000.00 दो हजार रूपये जमा करके अधिशासी अधिकारी को अपनी योग्यता एवं कार्य अनुभव के विवरण/प्रमाण-पत्रों सहित आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र अनुसूची क्रमशः "अ" या "ब" पर प्रस्तुत करेगा।

7—भवन निर्माण और प्रक्षेप (Projection) सम्बन्धित मानचित्र/नक्शा बनाने का लाईसेंस शुल्क अथवा नवीनीकरण शुल्क रु0 5,000.00 पांच हजार रुपये प्रति वर्ष देय होगा जो किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

8—मानचित्रकार/नक्शानवीस द्वारा निर्धारित लाइसेंस शुल्क भुगतान करने तथा रु0 10,000.00 दस हजार रुपये प्रतिभूति/जमानत जमा करने पर उपरोक्त अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा जो कि बिना ब्याज वापिस योग्य होगा ।

9—30 अप्रैल तक अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस का नवीनीकरण किया जायेगा, तत्पश्चात् नवीनीकरण शुल्क के साथ रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।

10—मानचित्र/नक्शा पर मानचित्रकार/नक्शानवीस और आज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे, मानचित्र पर मानचित्रकार/नक्शानवीस का अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस का नम्बर भी लिखा जायेगा।

11—नगरपंचायत से जारी अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस धारक मानचित्रकार/नक्शानवीस द्वारा तैयार मानचित्र/नक्शे ही कार्यालय में प्राप्त/स्वीकार किये जायेंगे।

12—अधिशासी अधिकारी निम्नलिखित कारणों से किसी भी मानचित्रकार/नक्शानवीस के अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस को उसके अपराध की स्थिति को देखते हुए निलम्बित/निरस्त कर सकता है अथवा नवीनीकरण हेतु 01 वर्ष से 05 वर्ष तक के लिए निषिद्ध/प्रतिबन्धित कर सकता है। परन्तु इससे पूर्व मानचित्रकार/नक्शानवीस को नोटिस जारी कर बचाव का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा—

(क) बनाया गया/प्रस्तुत मानचित्र सम्बन्धित उपनियमानुसार नहीं है अर्थात त्रुटिपूर्ण है,

(ख) अपराधिक मामलों में गिरफ्तार/दण्डित होने की दशा में,

(ग) नगरपंचायत को धोखा देने की दशा में,

(घ) नगरपंचायत के अधिकारी/कर्मचारी से दुर्व्यवहार करने की दशा में,

(ङ) अन्य किसी कारण से जो इस उपनियम में उल्लिखित न हो जिसका नगर पंचायत की कार्यशैली/छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो,

(च) निर्धारित अवधि में आवेदक को मानचित्र तैयार कर उपलब्ध न कराने की दशा में,

(छ) अवैध धनराशि वसूल किये जाने की दशा में,

(ज) नगर पंचायत के द्वारा जारी नोटिस/निर्देशों की अवहेलना करने की दशा में,

(झ) धोखे एवं मिथ्या विवरणों से अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस बनवाने पर ।

13–अनुज्ञापित/लाइसेंसी मानचित्रकार/नक्शानवीस एक अवधि निर्धारित करेंगे और अपने वचन (Under Taking) को लिखित रूप से उस व्यक्ति को जिसने उससे मानचित्र बनवाने को दिया है, देंगे।

14–यदि प्रार्थी और मानचित्रकार/नक्शानवीस के मध्य मानचित्र तैयार करने की देय धनराशि के विषय में कोई विवाद होता है तब अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

15–अधिशासी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध चैयरमैन को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी जिस पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

16–नगर पंचायत द्वारा अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस निर्गत करने/नवीनीकरण हेतु पंजिका अनुरक्षित की जायेगी जिससे प्रत्येक मानचित्रकार/नक्शानवीस का वर्षवार सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा।

17–**शास्ति**–अधिनियम की धारा 299 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत खानपुर एतद्द्वारा यह निर्देश देती है, कि इस उपविधि में दिये गये उपबन्ध का उल्लंघन जुर्माना जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) तक हो सकता है, और निरन्तर उलंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराध जारी रहा है, रु0 100.00 (सौ रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

18–शासन में कार्यरत अभियन्ता व अवर अभियन्ता को शासकीय भवन के निर्माण हेतु नक्शो का प्रस्ताव तैयार करने व नगर पंचायत में प्रस्तुत करने का अधिकार बिना लाईसेन्स प्राप्त किये होगा और वह किसी प्रकार का शुल्क नगर पंचायत को देने के जिम्मेदार न होंगे ।

19–उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

मानचित्रकार/नक्शानवीस के अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस हेतु
आवेदन-पत्र

क्रमांक .....

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, खानपुर
(बुलन्दशहर)।

महोदय,

मैं/हम नगर पंचायत खानपुर में मानचित्रकार/नक्शानवीस के अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स वर्ष 20.....के लिए आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं। मैंने/हमने रसीद संख्या ...../दिनांक ..... द्वारा रु0 2,000.00 आवेदन शुल्क जमा कर दिया है। आवश्यक विवरण निम्न प्रकार है–

1–(अ)आवेदक/फर्म का नाम.....

(ब) पिता का नाम .....

(स) व्यक्ति/फर्म का नाम

(क) स्थायी .....

(ख) अस्थायी .....

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत खानपुर,
जिला बुलन्दशहर।

कार्यालय, नगर पंचायत खानपुर, जनपद बुलन्दशहर

29 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 6/न0पं0खानपुर/प्रकाशन–नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 293(1) धारा– 294 सपठित धारा 298(2) की सूची एक के शीर्षक 'ञ' व धारा 299 के अधीन सीमान्तर्गत साप्ताहिक बाजार/पैठ आदि का विनियमन एंव नियंत्रण करने सम्बन्धित उपविधियों को नगर पंचायत के विशेष संकल्प संख्या 6 दिनांक 14 अगस्त, 2019 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही अंतर्गत जनसामान्य एवं प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की आपत्ति एंव सुझाव आमंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'आज का मुद्दा' दिनांक 13 नवम्बर, 2020 (गौतमबुद्ध नगर) के पृष्ठ संख्या 13 पर तथा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'विशाल विश्व मानव' स्याना दिनांक 14 नवम्बर, 2020 के पृष्ठ संख्या 05 पर प्रकाशित किया गया। उक्त प्रकाशन पर नियत अवधि में जनसामान्य/प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

उपरोक्त स्थिति मे सम्यक् विचार विमर्श उपरान्त नगर पंचायत खानपुर द्वारा सर्वसम्मति से विशेष संकल्प संख्या 6 दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 से सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओ में अभिवृद्धि हेतु 'साप्ताहिक बाजार/पैठ' आदि का विनियमन एंव नियंत्रण करने संबंधी उपविधियों का अनुमोदन (पुष्टि कर अंतिम स्वीकृति) किया गया। उक्त उपविधियां दिनांक 01 अप्रैल, 2021 अथवा सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक जो भी बाद में हो, से प्रवृत्त होगी जिसका प्रकाशन उपरोक्त पालिका अधिनियम की धारा 301(2) के अधीन किया जाता है।

उपविधियां

1–(अ) यह उपविधि "साप्ताहिक बाजार/पैंठ" उपविधि नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर कहलायेगी,

(ब) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत खानपुर क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी,

(स) यह उपविधि दिनांक 01 अप्रैल, 2021 अथवा सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रवत्त होगी।

2–**परिभाषायें**–विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य उ.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 2) सन् 1916 से है,

(ख) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर के अधिशासी अधिकारी से है,

(ग) "अध्यक्ष /प्रशासक" का अभिप्राय शासकीय व्यवस्थानुसार नगर पंचायत खानपुर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(घ) बोर्ड का अर्थ नगर पंचायत खानपुर के बोर्ड से है।

(ङ) "निरीक्षक" का तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर के ऐसे कर्मचारी से है जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा उपविधि के कार्य के सम्बन्ध में निरीक्षण के लिये नियुक्त किया गया हो,

(च) ठेके का अर्थ प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की उस अवधि से है जिसके लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन करके बोर्ड/प्रशासक के द्वारा प्रचलित शासकीय आदेशान्तर्गत ठेका दिया जाये।

स्पष्टीकरण–ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है वही अर्थ होंगे जो उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 में उनके लिए दिये गये हैं।

3–नगर पंचायत खानपुर के द्वारा अपनी सीमा के अन्दर निर्धारित स्थान (जो कि नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित किया जाये) सप्ताह के एक दिन सुविधानुसार साप्ताहिक बाजार लगाया जायेगा

4–साप्ताहिक बाजार में नगर पंचायत द्वारा बाईपास रोड़ गाटा संख्या 585 पर व्यापारीयों को फड़ लगाकर अपना सामान विक्रय करने के लिये अस्थाई जगह उपलब्ध करवाई जायेगी जिसके लिये नगर पंचायत के द्वारा इस दिवस के लिये रु0 4.00 प्रतिवर्ग फुट की दर से शुल्क वसूल किया जायेगा परन्तु उक्त शुल्क किसी भी दशा में रु0 30.00 से कम नहीं होगा ।

5–नगर पंचायत के द्वारा जिस व्यापारी को एक सप्ताह जिस स्थान पर फड़ लगाकर सामान विक्रय करने की अनुमति दी जाती है यह आवश्यक नहीं कि अगले सप्ताह पुनः उसी व्यापारी को वही स्थान उपलब्ध करवाया जाये इस सम्बन्ध में किसी व्यापारी को आपत्ति/क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

6–साप्ताहिक बाजार में किसी भी व्यक्ति को कोई निर्माण स्थाई/अस्थाई रूप से करने का अधिकार नहीं होगा केवल धूप बारिश आदि से बचने के लिये तिरपाल आदि का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु इसमें नगर पंचायत की किसी सड़क, मार्ग, चबूतरे आदि को कोई हानि नहीं होनी चाहिये ।

7–यदि किसी व्यक्ति के द्वारा तिरपाल आदि को लगाने के लिये नगर पंचायत की किसी सड़क चबूतरे आदि को कोई हानि पहुंचाई जाती है तब ऐसी स्थिति में नगर पंचायत को उस व्यक्ति के द्वारा की गई हानि को सही करने में लगने वाली धनराशि से दोगुनी धनराशि वसूल करने का अधिकार होगा ।

8–साप्ताहिक बाजार में किसी भी व्यक्ति को ऐसा स्थान फड़ लगाने के लिये उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा जिससे मार्ग अवरूद्ध होता हो ।

9–नगर पंचायत के द्वारा साप्ताहिक बाजार में शुल्क वसूली के लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन आदि करके ठेका छोड़ा जायेगा परन्तु यदि किसी कारणवश नगर पंचायत बोर्ड अथवा प्रभारी अधिकारी ठेका न दे सके तो बोर्ड अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त शुल्क वसूली के लिये किसी कर्मचारी को नियुक्त किया जा सकता है ।

10–ठेके की म्याद अधिकतम एक वर्ष के लिये होगी जो कि प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च को समाप्त होगी चाहें किन्हीं कारणवश ठेका 01 अप्रैल के स्थान पर कुछ समय पश्चात् ही क्यों ना छोड़ा गया हो इस सम्बन्ध में ठेकेदार को समय के सम्बन्ध में कोई आपत्ति करने का अधिकार ना होगा ।

11–ठेकेदार को ठेका लेने के 15 दिवस के अन्दर शासनादेश के अनुरूप अनुबन्ध का पंजीकरण निर्धारित शुल्क पर करवाया जाना आवश्यक है जिसमें होने वाले समस्त व्यय को अदा करने की जिम्मदारी ठेकेदार की होगी अनुबन्ध का पंजीकरण ना करवाये जाने की स्थिति में ठेका पंजीकरण के लिये निर्धारित की गई समयावधि 15 दिवस समाप्त होने के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जायेगा जिसके लिये निरस्तीकरण के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी तथा पुनः ठेका छोड़ने में होने वाली हानि को पूर्व ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार नगरपंचायत को होगा ।

12–ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) जिसे उपरोक्त शुल्क वसूली का ठेका/कार्य दिया गया हो वह उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूल नहीं करेगा ।

13–ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में छपी हुई और क्रमांक अंकित रसीद का ही इस्तेमाल करेगा। रसीद बुक पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/नगरं पंचायत कर्मचारी रसीद बुक को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करायेगा जिसको नगर पंचायत के द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष में सम्भाल कर रखा जायेगा ।

13–ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी सम्पूर्ण वसूली के विवरण को एक रजिस्टर में अंकित करेगा जिसमें भूमि/सम्पत्ति का विवरण व प्राप्त शुल्क आदि अंकित किया जायेगा रजिस्टर पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/कर्मचारी रजिस्टर को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा जिसे नगर पंचायत में कम से कम 3 वर्षों के लिये सम्भाल कर रखा जायेगा ।

14–नगर पंचायत के द्वारा छोड़े गये ठेके के ठेकेदार के द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है अथवा अन्य ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कि इस उपनियम अथवा नगर पालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के विरूद्ध हो अथवा ठेकेदार के द्वारा कोई अनैतिक अथवा कानून के विरूद्ध कार्य किया जाता है तब ऐसी स्थिति में नगर पंचायत को ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा ।

15–ठेके की अन्य शर्तें नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

16–उक्त उपविधियां केवल साप्ताहिक बाजार के सम्बन्ध में लागू होंगी अन्य दिनों में नगर पंचायत की भूमि का अस्थाई इस्तेमाल करने का शुल्क वसूल करने के लिये नगर पंचायत के द्वारा अलग से उपविधियां बनाई जायेंगी और उन उपविधियों के अर्न्तगत् दिये गये ठेके के ठेकेदार को साप्ताहिक पैंठ में शुल्क वसूली करने का अधिकार नहीं होगा परन्तु दोनों ठेके किसी एक ठेकेदार को दिये जाने में कोई प्रतिबन्ध भी नहीं है ।

17–यदि कोई व्यक्ति उपनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा इन उपनियमों द्वारा उन पर आरोपित किन्हीं अपेक्षाओं अथवा आभारों का उल्लंघन करता है या किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है तो उसके विरूद्ध नगरपंचायत खानपुर के द्वारा की जायेगी और दोष सिद्ध होने पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो कि उ0प्र0नगर पालिका अधिनियम की धारा 299 के अनुसार अंकन रु0 1000 तक हो सकेगा तथा लगातार अपराध सिद्ध होने की दशा में उसे अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा जो कि प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिनों के लिये अंकन रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) तक हो सकेगा ।

18–उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत खानपुर के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा ।

19–उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

दण्ड

अधिनियम की धारा 299 (2) प्राप्त अधिकारों से नगर पंचायत यह आदेश करती है कि पूर्वांकित उपनियमों के किसी भी निर्देश का पूर्ण अथवा आंशिक उल्लंघन होने पर रु0 5,000.00 तक अर्थ दण्ड हो सकता है और निरन्तर उपेक्षा करने पर प्रथम अभिशंसा की तिथि से रु0 50.00 प्रतिदिन तक अर्थ दण्ड उस समय तक हो सकता है, जब तक अपराध करना बन्द प्रमाणित हुआ हों।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत खानपुर,
जिला बुलन्दशहर।

कार्यालय, नगर पंचायत खानपुर, जनपद बुलन्दशहर

29 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 8/न0पं0खानपुर/प्रकाशन–नगर पंचायत खानपुर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपनी सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 293 एंव 298 और वन पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत 'ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016' के अंतर्गत निर्मित 'नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2020 जो ठोस अपशिष्टो के संग्रहण, भण्डारण परिवहन, प्रसंस्करण (Processing) एंव निपटान (Disposal) तथा स्वच्छता संबंधी प्रकरणों के सभी मामलों एवं वस्तुओं के विनियमन के संबंध मे है, को विशेष संकल्प संख्या 8 दिनांक 01 जून, 2019 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही अंतर्गत सर्वसाधारण की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'आज का मुद्दा' दिनांक 13 नवम्बर 2020 (गौतमबुद्ध नगर) के पृष्ठ संख्या 03 पर तथा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र–'विशाल विश्व मानव' स्याना दिनांक 13 नवम्बर, 2020 के पृष्ठ संख्या 03 पर प्रकाशित किया गया। उक्त उपविधि के प्रकाशन पर नियत अवधि के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

उपरोक्त स्थिति में सम्यक् विचारोपरांत विशेष संकल्प संख्या 7 दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 के अन्तर्गत 'नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2020' को निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर मे वृद्धि के उद्देश्य से सर्वसम्मति से अनुमोदन (पुष्टि कर अंतिम स्वीकृति) किया गया। जो 'सरकारी गजट उ0प्र0' में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी। इस उपविधि का प्रकाशन उक्त पालिका अधिनियम की धारा 301 (2) के अधीन किया जाता है।

उपविधि

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) इस उपविधि का नाम नगर पंचायत खानपुर की ''नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2020'' कहलायेगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू/प्रभावी होगीं।

(2) यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार-पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।

2–लागू होना–यह उपविधि नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर की सीमा में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमाएं इसमें सम्मिलित मानी जायेगी) लागू होगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों, प्रत्येक स्वामित्व/अध्यासन वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर जो नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर की सीमा में है, पर लागू होगी।

3–इस उपविधि में जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत् है–

परिभाषाएं–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में–

''अभिकरण या अभिकर्ता'' से तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था या एजेन्सी या फर्म या संविदाकर्ता से है, जो उसकी ओर से गलियों की सफाई और अपशिष्ट के संग्रह, प्रबंधन, परिवहन, भण्डारण, पृथक्कीरण संग्रहण, यूजर चार्ज, शमन शुल्क के संग्रह आदि कृत्य का निर्वहन करें।

1–''जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट)'' से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा–कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधों/जानवरों से जनित अपशिष्ट जैसे रसोई अपशिष्ट, भोजन एवं फूलों का अपशिष्ट, पत्तियों, बगीचों का अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट/मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो माइक्रोआर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड/ डिकम्पोज हो सकता है।

2–''जैवचिकित्सा अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट)'' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो किसी प्राणी या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान क्रियाकलापों में या जीवों के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हो। इसके अन्तर्गत अनुसूची तीन में उल्लिखित श्रेणियां भी सम्मिलित हैं।

3–''शुष्क अपशिष्ट से तात्पर्य'' बायो डिग्रेडिबुल अपशिष्ट और गली के निष्क्रिय कूड़ा करकट से भिन्न अपशिष्ट से है और जिसके अन्तर्गत री–साइक्लेबुल अपशिष्ट, नान-रीसाइक्लेबुल अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट और सेनेटरी नैपकिन और डाइपर आदि से है।

4–''घरेलू परिसंकटमय (हजार्डस) अपशिष्ट'' से तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक/हारिकारक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी0एफ0एल0 बल्ब, ट्यूबलाइटें, अवधि समाप्त औषधियॉ, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियॉ, प्रयुक्त सुइयॉ तथा सिरिंज और संदूषित पटिट्यॉ आदि से है।

5–''बायो–मीथेनेशन से तात्पर्य'' ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें माइक्रोबियल एक्शन द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इन्जाइमी डीकम्पोजीशन/ब्रेकिंग डाउन होता है जिसके कारण मीथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।

6–''द्वार-द्वार संग्रहण से तात्पर्य'' घरों, दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसायटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेन्ट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत काम्पलेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है।

7–''विकेन्द्रित प्रसंस्करण'' से तात्पर्य बायोडिग्रेडिबुल अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम रीसाइक्लेबुल सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम् परिवहन करना पड़े।

8–''ब्रांड ओनर से तात्पर्य'' ऐसी किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड ब्रैंड लेबल के अन्तर्गत वाणिज्यिक विक्रय करती है।

9–''निपटान से तात्पर्य'' भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के प्रदूशण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपरान्त अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाले की सिल्ट का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान से है।

10–''नगर निकाय'' से तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर से है।

11–''बृहद् अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेटर)'' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 100 किलाग्राम की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनमें केन्द्रीय/ राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब, जिमखाना, शादीघर, मनोरंजन परिसर भी शामिल हैं, आदि से है।

12–''संग्रहण'' से तात्पर्य नियत संग्रहण स्थलों या अन्य स्थानों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने और हटाने से है।

13–''स्रोत पर संग्रहण'' से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नगर निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे ''घर-घर संग्रहण'' भी कहा जा सकता है।

14–''सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र'' से तात्पर्य किसी ऐसी भण्डारण सुविधा से है जिसकी व्यवस्था तथा रख–रखाव नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामियों और/या अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

15–''कम्पोस्ट खाद निर्माण से तात्पर्य'' ऐसी नियन्त्रित प्रकिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का जैविकीय अपघटन एरोबिक/एनएरोबिक अन्तर्ग्रस्त है। इसके अन्तर्गत कृमिक खाद निर्माण भी है, जो जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को वानस्पतिक खाद में परिवर्तित करने हेतु केचुओं के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।

16–''निर्माण व ध्वस्तीकरण सम्बन्धी अपशिष्ट'' से तात्पर्य निर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण संक्रिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलवा और रोड़ी से उत्पन्न अपशिष्ट से है।

17–''अपशिष्ट छॅटाई केन्द्र'' से तात्पर्य किसी ऐसी अभिहित भूमि शेड छतरी, या ढांचे से है जो किसी नगर निकाय की या सरकारी भूमि पर या अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छँटाई करने के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।

18–''अपशिष्ट उत्पादक'' से तात्पर्य नगर निकाय की सीमा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है।

19–''निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट से तात्पर्य'' किसी ठोस अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है, जिसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म उसे सफाई सम्बन्धी गड्ढे के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

20–''कूड़ा कचरा से तात्पर्य'' किसी प्रकार का ठोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलबा या कूड़ा या किसी प्रकार का शीशा धातु आदि के टुकड़े कागज कपड़ा, लकडी खाना, वाहन के परित्यक्त भाग, फर्नीचर या फर्नीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट, कतरन, ठोस बालू या पत्थर, और किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गयी कोई अन्य सामग्री पदार्थ या वस्तु से है।

21–''संग्रहण'' से तात्पर्य कूड़े कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है, जहां पर वह गिराया या उतारा जाता है अथवा बह कर आता है, रिसता या अन्य प्रकार से बह कर आता है या किसी सार्वजनिक स्थान में या उस पर उसके गिराने, उतारने, बहकर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की सम्भावना हो।

22–''स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह'' स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह से तात्पर्य आवासीय या वाणिज्यिक परिसरों के स्वामियों या अध्यासियों के किसी समूह या किसी विशिष्ट पड़ोस के ऐसे स्वामियों या अध्यासियों की समितियों या संगठनों से है जो नगर निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर परिभाषित किये गये हों, जो उस क्षेत्र में सफाई बनाये रखने और अपशिष्ट में कमी करने, पृथक्करण और पुर्नचक्रण के लिए उत्तरदायित्व लेने के लिए आगे आये हों। प्रतिबन्ध यह है कि वह सहकारी समितियों, के निबन्धक द्वारा पंजीकृत हों और उनके उद्देश्य और प्रयोजन के अन्तर्गत सफाई बनाये रखना और अपशिष्ट के पृथक्करण और पुर्नचक्रण भी सम्मिलित हों और उसे नगर निकाय द्वारा स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह के रूप में अनुमोदित किया गया हो।

23–''मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर)'' से तात्पर्य किसी गली, लेन, पार्श्व–पथ, पैदल पथ, खड़न्जा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूम कर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, खाद्य सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित करने में लगे व्यक्ति से है जिसके अन्तर्गत फेरीवाला आदि सम्मिलित हैं।

24–''नगरीय ठोस अपशिष्ट'' के अन्तर्गत नगर निकाय में उत्पादित ऐसा वाणिज्यक, आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी है, जो ठोस या अर्द्धठोस रूप में हो।

25–''गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन'' से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है, जो नगर में सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधित्व निकाय है, सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो।

26–''अध्यासी'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या किसी भवन या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रूप से उपयोग कर रहा है।

27–''स्वामी से तात्पर्य'' ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग कर रहा है।

28–''प्रस्संकरण'' से तात्पर्य ऐसे किसी वैज्ञानिक प्रस्संकरण से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण या भू-भरण स्थल हेतु उपयुक्त बनाने के प्रयोजन के लिए प्रस्संकरण हेतु अभिक्रियित किया गया है।

29–''पुनर्चक्रण'' से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथक्कृत गैर जैव विकृत ठोस अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री में परिवर्तित करने की प्रकिया से है, जो मूल उत्पादों के समान हो सकती है या नहीं हो सकती है।

30–''कचरा निस्तारण प्रभार से तात्पर्य'' नगर निकाय द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन, और निस्तारण के लिए अधिसूचित फीस या प्रभार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाईसेंसी के लिए यथा प्रयोज्य व्यापार कचरा प्रभार सम्मिलित है।

31–**''प्रयोक्ता शुल्क''** से तात्पर्य कचरा निस्तारण कार्य के सन्दर्भ में निर्धारित यूजर चार्ज से है।

32–''पृथक्करण'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट को विनिर्दिष्टि समूह के जैव नाशित परिसंकटमय जैव चिकित्सीय निर्माण और ध्वंश सामूहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक करने से है।

33–''छंटाई'' करना से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुर्नचक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कॉच आदि को समुचित पुनः चक्रण सुविधा में पृथक करना सम्मिलित है।

34–''भण्डारण'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कि कूड़ा करकट के बिखराव, रोगवाहकों के आकर्षण, आवारा पशुओं और अतिशय दुर्गन्ध को रोका जा सके।

35–''परिवहन'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।

36–''विहित प्राधिकारी'' में अधिशासी अधिकारी से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में उनके लिए क्रमशः समुनिदेशित है जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

इस उपविधि के अन्तर्गत उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बन्धित दायित्वों/कर्तव्यों/कार्यों का विवरण, प्रतिशेध, शास्ति एवं प्रशमन आदि का विवरण निम्नवत् है–

अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के सामान्य कर्तव्य

प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता–

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात बायोडिग्रेडिबुल (गीला कूड़ा), नान–बायोडिग्रेबल (सूखा कूड़ा) और घरेलू हजार्डस अपशिष्ट के तीन अलग-अलग रंग के डिब्बों क्रमशः हरा, नीला एवं काला में भंडारित करेगा और समय-समय पर नगर पंचायत द्वारा निर्गत निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध करायी गई थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटन (रैपर) सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या नान–बायोडिग्रेबल अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

(2) कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाशयों में न फेकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा।

(3)सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस अनुसूची–4 का भुगतान करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये नगर पंचायत की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसी व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को नगर पंचायत द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा तथा इस सन्दर्भ में दी गयी अनुमति की सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेन्डर) अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिये उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर पंचायत द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा अन्यथा समीपस्थ सम्बन्धित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा।

(6) 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगर पंचायत की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेगें। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेगे। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमीथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पंचायत द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

(7) सभी बृहद् अपशिष्ट सृजक नगर पंचायत की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बृहद् अपशिष्ट सृजक द्वारा बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का, परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्टिंग करके अथवा बायो मिथेनाइजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पंचायत द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

प्रतिषेध	3	(1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जानबूझकर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यो से सम्बद्ध नाली, गली, गड्ढा, सम्वातन पाईप और फिटिगों में कोई कूड़ा कचरा, या अपशिष्ट नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो –
	(i)	i) जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुॅचने की,
	(ii)	ii) नाली एवं मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की,
	(iii)	iii) खतरनाक होने या जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की,
	(2)	(2) कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्नान नहीं करेगा न ही थूकेगा न पेशाब करेगा न ही उसे विकृत करेगा न पशुओं और चिड़ियों के समूह को खिलायेगा और न ही, पशुओं, वाहनो बर्तनों या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा।
	(3)	(3) कोई व्यक्ति स्वामी या अधिभोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे वह द्रव्य, अर्द्धठोस या ठोस पदार्थ हो जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा।
	(4)	(4) कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने पालक से करायेगा।
	(5)	(5) पालतु पशुओं के स्वामी किसी भी दशा में उन्हें खुला नहीं छोड़ेगें क्योंकि इससे मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटनायें होने की सम्भावना बनी रहती है।
	(6)	(6) कोई भी व्यक्ति घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डो अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी नही करेगा।
	(7)	(7) कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकोल आइटम्स का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा।
	(8)	(8) कोई भी व्यक्ति सड़क, मार्ग या अनाधिकृत स्थल पर जानवरों का गोबर, लीद, पचौनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न तो डालेगा और न ही डलवायेगा।
	(9)	(9) कोई भी व्यक्ति, जानवरों का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा।
	(10)	(10) कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क, पार्क आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाईकर्मी द्वारा घर-घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते हुये पाया जाता है तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।
नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	4	1) घरेलू अपशिष्ट का द्वार–द्वार संग्रहण–
		(क) द्वार-द्वार संग्रहण में लगे प्रत्येक सफाईकर्मी को कंटेनरयुक्त हाथठेला/रिक्शा तथा एक घण्टी या सीटी/सायरन उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक कर्मी का सफाई बीट मे सफाई तथा निश्चित की गई संख्या में भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा। सफाईकर्मी घण्टी या सीटी/सायरन बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य यथा–निर्धारित समयावधि में एवं यथा–निर्धारित स्वरूप में करेगा। सफाई कर्मी सड़क/गली की सफाई से संग्रहित पेड़ों के पत्तों एवं कूड़े को जलायेगा नही और उसे नगर पालिका परिशद द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौपेगा।
		(ख) नगर निकाय वैकल्पिक रूप मे घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिए कन्टेनरयुक्त वाहन/ मोटरवाहन की व्यवस्था कर सकेगा। वाहन चालक, घर या बीट मे हार्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर मे डालेगे।
		(ग) किसी कारणवश उप नियम (क) अथवा (ख) में अंकित व्यवस्था संभव न होने पर स्वयं सेवी संगठनों, अभिकरणों अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर-घर से अपशिष्ट

संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।
(घ) भवन स्वामी या अध्यासी से प्रयोक्ता शुल्क भी वसूला जा सकेगा।
(2) होटल अपशिष्ट का संग्रहणः–
होटल या रेस्टोरेंट द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए स्वयं की व्यवस्था की जायेगी। नगर निकाय द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी।
(3) शादी घरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक क्रेंद्रो के अपशिष्ट का संग्रहण –
शादी घरों, कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रों से प्रतिदिन अपशिष्ट संग्रहण के लिए नगर निकायों द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण/अभिकर्ताओं द्वारा भी करायी जा सकेगी।
(4) वधशाला अपशिष्ट तथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी। इस अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
(5) औद्योगिक अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन और निस्तारण औद्योगिक आस्थानों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
(6) अनुपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (जैसा अनुसूची–3 मे सूचीबद्ध है) का विनिर्दिष्ट प्रकार के आच्छादित पात्रों में भण्डारित किया जायेगा और अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर से नगर निकाय द्वारा या किसी अभिकरण द्वारा की जायेगी या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए अभिहित केन्द्र को ऐसी रीति से निस्तारण करने के लिए सौंपा जायेगा जो जैव चिकित्सा अपिशिष्ट (प्रबन्धन और व्यवस्था) नियमावली 2016 के अनुसार आदेशित हों।
(7) निर्माण और ध्वस्तीकरण संबंधी अपशिष्ट के भण्डारण और निस्तारण के सम्बन्ध में लघु सृजकों (घरेलू स्तर) के लिए यह उत्तरदायित्व पूर्ण होगा कि वह प्रारम्भिक अवस्था में भी पृथक-पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का भण्डारण करेगें एवं नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर उसका परिवहन कर डालेगा, अन्यथा कि स्थिति में उत्पादक; नगर निकाय या उसके अधिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेगें जो उत्पादक से पृथक-पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपिशिष्ट को उठाने के लिये वाहन उपलब्ध करायेगा जिसका एक विनिर्दिष्ट प्रभार होगा। तदुपरान्त इस अपशिष्ट को प्रसंस्करण केन्द्र को भेज दिया जायेगा।
(8) सभी जैव अनाशित (नानबायोडिग्रडेबुल) अपशिष्ट पुनः प्रयोग करने योग्य और पुनः प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भंडारण अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक–पृथक किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा, जिसकी व्यवस्था नगर पंचायत या उसके अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर की जायेगी जैसा कि ऐसे अपशिष्ट को संग्रह करने के लिए समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या नगर निकाय या सरकारी या निजी भूमि पर स्थापित लाइसेंस प्राप्त ऐसे अपशिष्ट के छंटान केन्द्रों को दिया जायेगा।
वेस्ट पिकर्स :– वेस्ट पिकर्स (कूड़ा बिनने वालों का) का सर्वेक्षण कर उनका व उनसे संबंधित सहकारी संस्थाओं को चिन्हित किया जायेगा तथा प्रत्येक वेस्ट पिकर को पहचान-पत्र दिया जायेगा। उन्हें अपने कार्य का प्रशिक्षण देते हुए उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर पहचान पत्र में अंकित किया जायेगा तथा उन्हें घर-घर से रिसाईक्लेबल अपशिष्ट संग्रह करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।
वेस्ट पिकर्स वाली सहकारी संस्थाओं, लाइसेंस प्राप्त पुनः प्रयोगकर्ताओं या कबाड़ियों को, अपशिष्ट संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए नगर निकाय के लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं के साथ ऐसे अपशिष्ट छटान केन्द्रों के संचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता है। (पुनः प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत सूची अनुसूची दो में दी गई है)।
(9) उद्यान और बागबानी अपशिष्ट की प्रारंभिक अवस्था में ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहां स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना संभव न हो नगर निकाय अधिसूचित उचित फीस लेकर पृथक-पृथक किये गये उद्यान और बागबानी अपशिष्ट का संग्रह और

परिवहन जारी रखेगा।

(10) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को हाथठेला गाड़ियों से सामुदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(11) किसी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा।

(12) नाले एवं नालियों के सफाई से निकली हुई सिल्ट के संग्रह एवं परिवहन तथा निपटान हेतु अलग से व्यवस्था की जायेगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण

5 (1) प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी या अध्यासी या अपशिष्ट उत्पादक नगरीय ठोस अपशिष्ट को अपशिष्ट उत्पादन स्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों मे पृथक करेगाः–

1– जैव नाशित (बायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (गीला कूड़ा)

2– जैव अनाशित (नानबायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (सूखा कूड़ा)

3– जैव चिकित्सीय (बायोमेडिकल) अपशिष्ट

4– घरेलू परिसंकटमय (हजार्ड्स) अपशिष्ट

(2) पृथक्करण के लिए नगर निकाय द्वारा जनजागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस हेतु जन कल्याण समितियों, गैर सरकारी संगठनों, कक्ष समितियों, तथा नागरिक समूहों को सम्मिलित किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण

6 (1) नगर निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण के सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस नीति से करेगा कि आस-पास अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न हो।

(2) भण्डारण सुविधा सुगम स्थल पर होगी।

(3) भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहॉ किसी प्रकार का प्रदूषण तथा गन्दगी न फैले।

(4) नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण व हथालन सुगमतापूर्वक हो सके, अतः यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(5) जहां किसी सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र चाहे वह खुले स्थान में हो या बन्द शेड में जो किसी परिसर में हो या सार्वजनिक स्थान पर स्थित हो, से नगर निकाय वाहनों द्वारा सीधे ही नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रह किया जाता हो वहां ठोस को पृथक-पृथक किये गये अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्था किये गये अनुसार जमा किया जायेगा।

सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र

7 अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का निस्तारण इस हेतु उपबंधित अपशिष्ट वाहनों तथा अपशिष्ट भण्डार केन्द्रों में किया जायेगा जहां से नगर निकायों द्वारा संग्रह वाहन ऐसे अपशिष्ट का प्रतिदिन ऐसे समय पर संग्रहित करेगा जैसा अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी समय-समय पर अधिसूचित करें।

ढॉचागत सुविधाओं की व्यवस्था

8 नगर निकाय इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में नागरिकों की सहायता करने के लिए पर्याप्त ढॉचागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के अतिरिक्त कूड़ा फेकने के लिए डस्टबिन, सामुदायिक भण्डारण केन्द्र अपशिष्ट छॅटान केन्द्र और कम्पोस्ट खाद बनाने के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जहां कहीं सम्भव और आवश्यक हो यह कार्य स्थानीय नागरिकों के परामर्श और सहभागिता से किया जायेगा। मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों और प्रक्षालन सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा मे व्यवस्था की जायेगी, जिसमे संगठनों या स्थानीय क्षेत्र के नागरिक समूहों पर आधारित स्थानीय समुदायों की भागीदारी होगी।

किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, मार्केट कॉम्प्लेक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व भवन योजना में पृथक किये गये अपशिष्ट के संग्रहण पृथक्करण और भण्डारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

दिन प्रतिदिन के आधार पर बाजारों से सब्जियों,फलों,फूलों,मांस, कुकुट पालन और मछली बाजार से अपशिष्ट संग्रह करना और इस हेतु स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करते हुए उचित स्थानों पर विकेन्द्रिकृत कम्पोस्टिंग प्लांट या जैव मीथेनीकरण प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

सुविधा और सहायता उपलब्ध करना	9	अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी कम्पोस्ट खाद्य बनाने वाले विशेषज्ञों लाइसेंस प्राप्त कबाड़ियों, पुनः प्रयोग करने वाले व्यपारियों, कूड़ेदान विनिर्माताओं, पुनः प्रयोग करने में सिद्धहस्त अभिकरणों की सूची बनायेगा और उसे प्रकाशित करेगा, जिससे कि अपशिष्ट को पुनःप्रयोग करने योग्य बनाने में नागरिकों को सुविधा और सहायता मिल सके। कर्मचारियों और पंजीकृत व्यक्तियों और संगठनो के नाम और टेलीफोन नंबर नगर निकाय के सम्बिन्धित कार्यालयों से उपलब्ध कराये जायेगें। ये संगठन इस प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं और क्षेत्रीय नागरिक समूहों के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जायेगी।
कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार एवं प्रयोक्ता भाुल्क का लगाया जाना	10	नगर निकाय होटलों, रेस्तरां और अपशिष्ट के अन्य सृजकों पर कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार लगायेगा। अपशिष्ट प्रभार का निर्धारण अधिशासी अधिकारी द्वारा अपशिष्ट की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक सिद्धान्त के आधार पर लगाया जायेगा। कूड़े के समुचित निस्तारण के लिए प्रयोक्ता शुल्क लगाया जायेगा जोकि अनुसूची-4 में वर्णित दरों के अनुसार होगा जोकि प्रत्येक 02 वर्श में पुनरीक्षित किया जा सकेगा।
कम्पोस्ट खाद को बनाया जाना	11	अपशिष्ट के सृजकों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे अपने जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेबल) से कम्पोस्ट खाद बनायें और उसे अपने बगीचों और अपने निजी परिसरों मे लगाये गये पेड़ों और आस पास के पेड़ों में डाले। इस कार्य से बची हुई कम्पोस्ट खाद को नगर निकाय निविर्दिष्ट निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगा।
नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण	12	(1) जहॉ कहीं सम्भव हो नगर निकाय सार्वजनिक पार्कों, क्रीडा स्थल, मनोरंजन स्थल, उद्यानों, अधिक मात्रा मे खाली भूमि चाहे वह नगर निकाय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी विभाग के स्वामित्व मे हो या उसके द्वारा अनारक्षित हो पर लघु प्रसंस्करण इकाईयॉ (कम्पोस्ट खाद बनाना या जैव मीथेनीकरण) स्थापित करेगा। ऐसी इकाइयों की स्थापना तथा अनुरक्षण गैर सरकारी संगठनों अभिकर्ताओं व्यवस्था अधिकारियों, ठेकेदारों, किरायेदारों, द्वारा भी की जा सकती है। ये संस्थायें स्थानीय समुदाय के लिये नमूनों का प्रर्दशन करेगी और इस प्रकार से कार्य करेगी जिससे समाज या पर्यावरण को कोई असुविधा या हानि न हो। (2) नगर निकाय नदियों, झीलों, तालाबों, पूजा स्थलों आदि के पास कतिपय निर्दिष्ट स्थलों से पूजा सामग्रियों (फूल, पत्ती, फल) को विशेष पात्रों या कलशों मे इकट्ठा करने हेतु या तो स्वयं दायित्व लेगा या इच्छुक संगठनो को प्राधिकृत करेगा। इन कलशों या पात्रों से इकट्ठा की गयी सामग्री को उपयुक्त स्थान पर गाड़ा जायेगा या कम्पोस्टिंग इकाइयों द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जायेगी। (3) अपशिष्ट के परिवहन लागत को कम करने और अपशिष्ट के स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के वृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्बन्धित अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने वाले अपशिष्ट के किसी उत्पादक के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त नोटिस की अवधि के पश्चात् उद्गम स्थल पर या नोटिस में इस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थलों पर जैवनाशित अपशिष्ट को प्रसंस्कृत करे। (4) नगर निकाय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिये यथा–आवश्यक एक से अधिक भूमि भरण स्थलों का चिन्हीकरण विकास और अनुरक्षण करेगी और उसमें ऐसे निष्क्रिय ठोस अपशिष्टों को जो पुनर्चक्रण अथवा प्रसंस्करण के लिये समुचित न हो डाला जायेगा। (5) पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों मे पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। (6) वह अपशिष्ट जो अनुपयोगी हो, पुनर्चक्रण के योग्य न हो, नॉन बायोडिग्रेबुल न हो, ज्वलनशील न हो तथा नॉन रीएक्टिव व इनर्ट हो तथा जो अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से छांट कर निकाला गया हो को; सैनिटरी लैण्डफिल साइट पर निस्तारित किया जायेगा। (7) छटे हुए अपशिष्ट को यथा सम्भव रीसाइकिल व रीयुज करने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि जीरो-वेस्ट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। (8) खुली हुई डम्प साइट्स की बायो-माइनिंग व बायो-रेमिडिएशन की व्यवस्था की जायेगी। उपयुक्त न होने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में इनकी मानक के अनुसार

कैपिंग की व्यवस्था नगर पंचायत द्वारा की जायेगी ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो।

(9) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र की स्थापना, जिसको 10 किलो मीटर क्षेत्रफल के घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए बनाया जायेगा। इन केन्द्रों में घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट जमा करने का समय अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(10) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन के लिए राज्य प्रदूशण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन — 13 — अधिशासी अधिकारी, या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर अपशिष्ट एकत्रीकरण का बिन्दु चिन्हित करायेगा। जहॉ नगर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाड़ी को दिये जाने के लिये एकत्रित अपशिष्ट को लाया जायेगा। कूडा गाड़ी की सेवायें नगर निकाय द्वारा मार्ग (रूट) योजना के अनुसार एकत्रित कूड़े को इकट्ठा करने के लिये उपलब्ध करायी जायेगी। अपशिष्ट के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन में रखा गया कूड़ा ढॅका रहेगा।

स्रोत पर ही एकत्रीकरण — 14 — भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर उपलब्ध कूड़ा स्त्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नगर निकाय की गाड़ीयों/कर्मचारियों द्वारा उस कूड़ा पात्रों तक ऐसे समय तक पहुंचाई जायेगी जैसा अधिसूचित किया जाय।

सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र — 15 — अपवादिक मामलों में जहां स्थान-स्थान पर एकत्रीकरण या स्त्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो, वहां नगर निकाय द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र का सार्वजनिक सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहां आवश्यक और संभव हो, रख रखाव किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय।

अपशिष्ट छटाई केन्द्र — 16 — पुनर्चक्रीय और अपुनर्चक्रीय अपशिष्ट की छटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए संबंधित अधिकारी उतने अपशिष्ट छॅटाई केन्द्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और संभव हो। ये अपशिष्ट छटाई केन्द्र नगर निकाय की भूमि पर या सरकारी अथवा अन्य निकायों की भूमि पर हो सकते है, जो इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से शेड या गुमटी के रूप मे उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जायेगें। इनकी व्यवस्था कूड़ा बिनने वालों की रजिर्स्टड सहकारी समितियों या अनुज्ञा प्राप्त रीसाइक्लर्स या नगर निकाय द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अभिकरणों द्वारा भी की जायेगी।

जैव अपघटन योग्य अपशिष्ट के भण्डारण के लिए ''हरे रंग'' के डिब्बे पुर्नचक्रण योग्य अपशिष्ट के लिए ''नीले रंग'' एवं अन्य अपशिष्ट के लिए ''काले रंग'' के डिब्बे का उपयोग किया जायेगा।

छॅटाई के बाद अवशेष अपुनर्चक्रीय कूड़े को प्रसंस्करण या भूमि भराव के लिए ऐसे छॅटाई केन्द्रों से कूडा निस्तारण स्थलों पर भेजा जायेगा। ऐसे अपशिष्ट छॅटाई केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के कूड़े को अधिसूचित दरों पर क्रय एवं विक्रय का कार्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

समय सारिणी तथा एकत्रीकरण का मार्ग — 17 — नगरीय ठोस अपशिष्ट के दैनिक तथा साप्ताहिक एकत्रीकरण की समय सारिणी एवं मार्ग का निर्धारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अधिसूचित किया जायेगा। इनका विवरण सम्बन्धित कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगा।

स्थानीय नागरिक समूह — 18 — स्वयं सहायता समूहों के गठन को सुगम बनाना उन्हें पहचान कर पत्र उपलब्ध कराना और तद्परान्त घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करते सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा स्थानीय नागरिक समूहों का विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार इकट्ठा करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सके। सड़कों की सफाई, कूड़े के एकत्रीकरण, परिवहन, कम्पोस्टिंग आदि के लिये निर्धारित इकाई दरों पर नगर निकाय या स्वामियों या अध्यासियों से भुगतान प्राप्त कर सकेगे। पंजीकरण प्रक्रिया, माडल उपविधियॉ तथा स्थानीय नागरिक समूहों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनों हेतु माडल अनुबन्ध का प्रारूप नगर पंचायत की

		कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध करायी जायेगी।
सफाई अभियान	19	उन क्षेत्रों में जिनको विशेष सफाई अभियान के लिये आवश्यक समझ कर चिन्हित किया जाय और जहॉ स्थानीय पार्षद या सदस्य या नागरिक सहयोग के लिये आगे आते हों सफाई अभियान का आयोजन किया जायेगा। ऐसे विशेष अभियानों के लिये अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
जागरूकता शिक्षा और प्रशिक्षण	20	अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय नागरिक समूहों, नगर निकायकर्मी और उसके अभिकर्ता नगर के स्कूल, आवासीय समितियों, गन्दी बस्तियों, दुकानों, फेरी वालों, अपशिष्ट चुनने वालों/संग्रहकर्ता को कार्यालय संकुलों, औद्योगिक इकाईयों, वाणिज्यिक यूनियनों, सकल एरिया सिटिजन ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात् इन सबकी शिक्षा, जागरूकता, सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिये एक समन्वित योजना एवं रणनीति तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा। तथा जागरूकता, प्रचार प्रसार, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम में होने वाला व्यय नगर पंचायत कोष से भुगतान किया जायेगा।
अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जनसहभागिता को प्रोत्साहन	21	जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबन्धन के सर्वोत्तम कार्यों के लिये नगर निकाय द्वारा प्रशंसा-पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा। तथा अपशिष्ट प्रबन्ध के लिये जनसहभागिता को प्रोत्साहन कार्यक्रम में होने वाला व्यय नगर पंचायत कोष से भुगतान किया जायेगा।
शिकायतों का निस्तारण	22	नगर निकाय इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वन हेतु कम्प्लेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम को संचालित करेगा या एक समुचित नया आनलाईन कम्पलेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आंकडे ऑनलाईन ग्रिवान्स मैनेजमेण्ट सिस्टम (ओ0जी0एम0एस0)/ सिटिजन्स पोर्टल में प्रदर्शित की जायेगी।
नागरिकों की सफाई टीम	23	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यो में विशेष रूचि एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छाग्रही नामित कर सकता है। सम्बन्धित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते हैं तथा सर्वेक्षण करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। इन रिपोर्टों को नगर निकाय कार्मिकों को अग्रसारित किया जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जायेगा ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की सफाई और अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
रूचि की अभिव्यक्ति	24	किसी क्षेत्र को साफ रखने या कूड़े के पृथक्करण, पुनरावर्तन या कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना, कम्पोस्टिग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बायों–मिथेनीकरण आदि की अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जायेगी। रूचि की अभिव्यक्ति के ऐसे सभी आमंत्रण के विवरण सभी वार्ड कार्यालयों में तथा वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।
आकस्मिक निरीक्षण	25	अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगर निकाय की म्युनिसिपल सीमाओं में सम्बन्धित अधिकारी अपने अपने वार्डो के विभिन्न भागों में किसी भी समय (दिन या रात) आकस्मिक जॉच करेगें। किसी उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूड़े-कचरे की सफाई नगर निकाय द्वारा की जायेगी और उसमें अन्तर्ग्रस्त व्यय उल्लंघनकर्ता से वसूला जा सकेगा।
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में दायित्व	26	(1) मलिन बस्तियों की सफाई के संबंध में दायित्वः– क– अधिशासी अधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जहॉ जहॉ भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आयें, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रो में उनके वार्डो के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना (मलिन बस्ती अपनाने को अन्तर्गत) का विस्तार करेगें।

ख–जहॉ आवश्यक हो नगर निकाय की गाड़ी पृथकीकृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

ग–अपवादिक मामलों में जब तक गाड़ी की सेवायें तत्समय सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो, नगर निकाय द्वारा मानव सेवित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान की व्यवस्था की जायेगी जहॉ कूड़ा उत्पन्न करने वालों के द्वारा पृथकीकृत अपशिष्ट जमा किया जायेगा और वहॉ से नगर निकाय ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी।

(2) मुर्गी पालन, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्वः–

चिन्हित बूचड़खानों और बाजारों से भिन्न किसी भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी जो मुर्गी मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट को किसी व्यावसायिक गतिविधि के फलस्वरूप उत्पन्न करता है ढॅकी हुई, स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक भण्डारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये नगर निकाय के संग्रह वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दैनिक रूप से पहुॅचायेगा। किसी सामुदायिक कूड़ादान में ऐसे अपशिष्ट का जमा करना निशिद्ध है और अर्थदण्ड की अनुसूची में इंगित अर्थदण्ड का भागी होगा।

(3) ठेले वालों/फेंरी वालों के दायित्वः–

प्रत्येक ठेले वालों या फेरी वालों सामान बेचने की गतिविधि से उत्पन्न किसी अपशिष्ट के संग्रह के लिए अलग-अलग डिब्बे या कूड़ादान रखेगा। सम्यक् रूप से पृथक किये गये अपशिष्ट को नगर कूड़ा गाड़ी या निकाय चिन्हित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डराण कूड़ादान तक पहुचानें का दायित्व कूड़ा उत्पन्न करने वाले का होगा।

(4) नाली की सफाई का दायित्वः–

घरेलू नाली वाले भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान और ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग अलग करके पहुॅचाया जाय। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

जहॉ ऐसे भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी घर की नाली की सफाई के लिए नगर निकाय की सेवायें प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे नगर निकाय से सम्बन्धित वार्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निकाय द्वारा यथानिर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान प्राप्त कर घर की नाली की सफाई कराई जा सकेगी।

(5) पालतू पशु स्वामी का दायित्वः–

किसी पालतू पशु के स्वामी का यह दायित्व होगा कि गली या सार्वजनिक स्थान पर पालतु पशु द्वारा फैलाई गयी किसी गन्दगी को शीघ्रता से हटा दे अन्यथा ऐसे अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के लिए अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(6) सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह आयोजनकर्ता का दायित्वः–

सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह (जिसमें जुलूस प्रदर्शनी, सर्कस मेलों या राजनैतिक दलों की रैली, व्यावसायिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक समारोह विरोध प्रदर्शन धरना–प्रदर्शन इत्यादि शामिल है) के लिए जिसमें पुलिस और/या नगर निकाय की अनुमति अपेक्षित है समारोह या सम्मेलन के संयोजक का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करें।

नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिदेय स्वच्छता प्रभार प्रयोक्ता आयोजक से समारोह की अवधि के लिए संबधित कार्यालय में जमा कराया जायेगा। यह प्रभार

केवल सार्वजनिक स्थल की सफाई के लिए होगा। इसमें सम्पत्ति की क्षति आच्छादित नही होगी।

(7) निपटान योग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकीनों और डाइपर के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों के कर्तव्यः–

(1) निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन, कॉच, प्लाटिक पैकेजिंग इत्यादि के सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्राण्ड स्वामी अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेंगे।

(2) गैर नान बायोडिग्रेडबुल पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्राण्ड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेगें।

(3) स्वास्थ्य कर नैपकीनों तथा डाइपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों में सभी पुर्नचक्रण योग्य सामग्रियों के प्रयोग की सम्भाव्यता का पता लगायेंगे या अपने स्वास्थ्य कर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकीन या डाइपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध करायेंगे।

(4) ऐसे सभी विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी दी जायेगी।

नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति

27 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत निश्चित करती है कि इस उपविधि के किसी भी नियम का उल्लघंन करना अथवा उल्लघंन के दुष्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे व्यक्ति संस्था अथवा अन्य के विरूद्ध नियमानुसार अभियोजन संस्थित किया जायेगा।

अपराधों का प्रशमन

28 इस नियमावली के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा उक्त कार्यो के लिए अनुबन्धित संस्थाओं द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि संलग्न अनुसूची–1 में उल्लिखित है, वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है परन्तु शर्त यह होगी कि निकाय में बाहरी संस्थाओं द्वारा वसूल की गयी प्रशमन शुल्क कि धनराशि का 75 प्रतिशत उसी दिन नगर निकाय कोष में जमा करना होगा व उसकी लिखित सूचना व सूची नगर निकाय के सफाई विभाग में प्रस्तुत करनी होगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि संस्थाए अपने पास रखेगी और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन,

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जायेगा।

उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृक्षा पर अपना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

अनुसूची-1
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2020
प्रशमन शुल्क तालिका (ड्राफ्ट)

क्र0 सं0	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क	छः माह की अवधि में पुनः उल्लघंन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निकाय द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्यों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5
		रु0		रु0
1	व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर किसी–			
	1. अपशिष्ट फैलाना/फेकना।	200	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना	500
	2. थूकना।	100	,,	250
	3. मूत्र विर्सजन करना।	100	,,	250
	4. जनवरों को अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना।	500	,,	1,500
	5. वाहनों की धुलाई।	500	,,	1,500
	6. कपड़े धोना।	500	,,	1,500
	7. सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुंड में गंदगी फैलाना।	500	,,	1,500
2	मार्ग, पार्क, घाटों, आदि सार्वजनिक स्थल, की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर।	500	,,	1,000
3	घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी करने/कराने पर।	500	,,	1,000
4	पालतु पशुओं को खुला छोड़कर मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर ।	500	,,	1,000
5	नाले नालियों, ड्रेनेज/सीवेरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने परः–			
	(क) पशु पालक 5 जानवरों तक	1,000	,,	5,000
	(ख) पशु पालक 5 जानवरों से अधिक व 25 जानवरों तक	5,000	,,	10,000
	(ग) पशु पालक 25 जानवरों से अधिक	10,000	,,	20,000
6	डस्टबिन/स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना।	500	,,	शून्य
7	उपकरणों/ कपड़ों अन्य किसी सामग्री की अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई।	500	,,	शून्य

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
8	किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा-करकट को बनाये रखना।	500	,,	500
9	कानून का उल्लघंन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण।	1,000	,,	
10	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहनाः–		,,	
	(क) डबलिंग यूनिट/भवन/फ्लैट	500	,,	शून्य
	(ख) दुकान/बूथ	400	,,	शून्य
	(ग) माल/मल्टीप्लेक्स/शापिंग आर केड/होटल	5,000	,,	शून्य
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000	,,	शून्य
11	प्रतिबन्धित पालीथीन आइट्मस का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	अधिसूचना 1056/9-7-18-29 (लखनऊ)/18 लखनऊ दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अनुसार 100 ग्राम तक-1,000 101 ग्राम से 500 ग्राम तक-2,000 501ग्राम से 1 कि0ग्रा0 - 5000 1 कि0ग्रा0 से 5 कि0 ग्रा0 तक-10,000 5किलो से अधिक 25,000	,,	शून्य
12	थर्मोकोल आइट्मस का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	1,000	,,	शून्य
13	बिना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग–अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सौंपनाः–		,,	
	(क) व्यक्तिगत भवन	200	,,	
	(ख) दुकान/बूथ	500	,,	
	(ग) माल/मल्टीप्लेक्स/शापिंग आर केड/होटल	5,000	,,	
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000	,,	
	(ड.) औद्योगिक भूखण्ड/यूनिट	5,000	,,	
	(च) इवेन्ट आरगेनाइजर्स	5,000	,,	
14	वृहद् अपशिष्ट (100 किलो ग्राम प्रतिदिन से अधिक) उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना।	5,000 प्रतिमाह	10,000 प्रतिमाह	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
15	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर।	2,000	4,000	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
16	बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर।	5,000	10,000	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
17	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000	2,000	————
18	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000	2,000	————
19	निर्माण और ढहाने के अपशिष्ट का यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर	500 प्रतिटन	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना उपरोक्तानुसार	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
20	शुष्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500	500	————
21	उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छॅटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000	2,000	1,000
22	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर।	1,000	2,000	————
23	खुले में शौच करने पर।	500	1,000	————
24	पालतू जानवारों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/पार्क में फेकना।	500	1,000	1,000
25	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथानिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500	1,000	1,000
26	बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वाले/दुकानदारों के लिए।	100	200	————
27	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाये जाने के लिए।	500	1,000	1,000
28	व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनिधिकृत रूप से पानी बहाने पर।	1,000	2,000	————
29	सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह के पश्चात् 24 घण्टें के भीतर सफाई न करने के लिए।	5,000	10,000	सफाई करने पर आने वाले वास्वतिक व्यय की वसूली एवं स्वच्छता डिपाजिट जब्त कर लेना

नोट–

1–उपरोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज के दो वर्षो के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरे स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगी।

2– अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन/थरमाकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति अधिशासी अधिकारी को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।

3– यदि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगें।

अनुसूची–2

जैवनाशित और पुनर्चक्रीय अपशिष्ट की सूची

जैवनाशित अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)
जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। रसोई घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल है। मांस और हड्डियॉ उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी है। पशुओं का कूड़ा करकट गोबर सफाई के बाद घर की गंदगी नारियल के छिलके राख अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। समाचार पत्र कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें शीशा धातु के पदार्थ और तार प्लास्टिक फटे कपड़े चमड़ा रेक्सीन रबर लकड़ी/फर्नीचर पैकिंग के सामान एवं अन्य इसी प्रकार के। अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट

अनुसूची तीन

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनसे सम्बन्धी शोध कार्यो के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

1–धारदार अपशिष्ट–

सुईयॉ, सिरींज, छुरिया, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार दोनों है।

2–बेकार दवाइयॉ और साइटोटाक्सिक औषधियॉः–

अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाईयों के अपशिष्ट

3–ठोस अपशिष्ट–

रक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रूई, पट्टी, प्लास्टर पट्टी, कपड़े की पट्टी, बिस्तर, चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री।

अनुसूची–4

आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर का कूडा उठाने के लिए प्रस्तावित प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्ज

आवासीय	विवरण	दर/प्रतिमाह
1	2	3
		रु0
श्रेणी क	गृहकर से छूट वाले परिवार	10.00 प्रतिमाह
श्रेणी ख	200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक आवासीय ईकाई	30.00 प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल वाली आवासीय ईकाई	50.00 प्रतिमाह
श्रेणी घ	हाउसिंग सोसाईटी, अपार्टमेन्ट प्रति फ्लैट	40.00 प्रतिमाह
श्रेणी ड.	यात्री धर्मशालायें/धर्मशाला	30.00 प्रतिमाह
अनावासीय/व्यवसायिक		
श्रेणी क	100 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	30.00 प्रतिमाह
श्रेणी ख	100 वर्ग फीट से 200 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक की दुकान	150.00 प्रतिमाह
श्रेणी घ	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 100 छात्र एवं छात्राये तक	100.00 प्रतिमाह
	(i) पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 101 से 500 छात्र एवं छात्रायें तक	150.00 प्रतिमाह
	(ii) पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 501 से ज्यादा छात्र एवं छात्राये	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी ड.	इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमेन्ट कॉलेज एवं प्राईवेट स्नातक/स्नातकोत्तर कालेज, सेन्टर शॉपिग कम ऑफिस कॉम्पलैक्स, प्राईवेट शिक्षण संस्थाऐं, प्राईवेट हॉस्टल	300.00 प्रतिमाह
श्रेणी च	बैंक कार्यालय, एल0आई0सी0 कार्यालय, आदि एवं गेस्ट हाउस तथा होटल 10 कमरों तक, रेस्टोरेण्ट	300.00 प्रतिमाह
श्रेणी छ	मैरिज होम, माल्स, बैक्विट हाल, क्लब, सिनेमा हॉल, होटल 10 कमरों से अधिक	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी ज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी अस्पताल	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी झ	प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि (20 बेड तक)	250.00 प्रतिमाह
श्रेणी ञ	प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम (20 बेड से अधिक)	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी ट	पैथोलॉजी लैब	50.00 प्रतिमाह
श्रेणी ठ	क्लीनिक	50.00 प्रतिमाह
श्रेणी ड	अन्य सरकारी कार्यालय/सरकारी स्कूल	100.00 प्रतिमाह

1	2	3
		रु0
श्रेणी ढ	दवाईयों की दुकान	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ण	रिटेल चैन्स (जैसे बिग बाजार, विशाल, मैट्रो बाजार आदि)	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी त	रोड साईड वेन्डर (वेन्डर जोन सहित)	5.00 प्रतिदिन
श्रेणी थ	रोड साईड फास्ट फूड कार्नर, चाय/जूस की दुकान व चाट हाऊस आदि	5.00 प्रतिदिन
श्रेणी द	गोदाम एवं वेयरहाऊस 1000 वर्ग फीट	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी ध	गोदाम एवं वेयरहाऊस 1001 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी न	शराब की दुकानें	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी प	हाट, मार्केट, साप्ताहिक बाजार	10.00 प्रतिदिन प्रति स्टॉल
श्रेणी फ	शोरूम, सर्विस सेन्टर व छोटे गैराज	150.00 प्रतिमाह
श्रेणी ब	प्रदर्शनी ग्राऊण्ड, मेला	100.00 प्रतिदिन
श्रेणी भ	छोटे और कुटीर उद्योग कार्यशालायें (केवल गैर खतरनाक/प्रदूषक) प्रतिदिन 10 कि0ग्राम तक अपशिष्ट	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी म	प्रिंटिंग प्रेस	50.00 प्रतिमाह
श्रेणी य	पैट्रोल पम्प	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी र	ऐसे भवन जिनमें पालतू पशु (यथा– भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि) पाल रखें हों, जिनका व्यावसायिक उपयोग न किया जाता हो।	20.00 प्रतिमाह निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देय होगा
श्रेणी ल	अन्य जो उपरोक्त में छूट गया हो।	जो नगर पंचायत खानपुर द्वारा निर्धारित किया जाये।

नोट–

1–प्रयोक्ता शुल्क भुगतान न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गयी दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउन्डिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।

2–यदि कोई उपभोक्ता एक वर्ष का प्रयोक्ता शुल्क अग्रिम (एडवांस) जमा करता है तो वह 01 माह के प्रयोक्ता शुल्क की छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

3–विधवा/बेसहारा महिला एकल रूप से (50 वर्ग गज मकान में स्वयं निवास करती हो) प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नगर पंचायत खानपुर से प्राप्त करना होगा। यदि भवन अथवा भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पत्र नहीं होगा।

4–वह वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हो तथा 100 वर्ग गज तक के मकान में निवास करते हों, एवं शारीरिक अथवा मानसिक रुप में अस्वस्थ हो एवं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारजन अथवा अन्य सहायक आवासित न हो उनको प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर पंचायत खानपुर से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा।

5–जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपरोक्त अनुसूची–4 की सीमा में नहीं आयेंगे। इनका निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अन्तर्गत होगा।

6–प्रयोक्ता शुल्क अनुसूची–4 में वर्णित शुल्क प्रत्येक 2 वर्ष में पंचायत द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी। पुनरीक्षण का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर, नगर पंचायत खानपुर में निहित होगा। उपरोक्त उपविधि में पुनरीक्षण के पश्चात् शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, खानपुर,
जिला बुलन्दशहर।

कार्यालय, नगर पंचायत खानपुर, जनपद बुलन्दशहर

29 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 10/न0पं0खानपुर/प्रकाशन–नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर मे वृद्धि के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 294 सपठित धारा 298(2) की सूची एक के शीर्षक 'ञ'/'J' (प्रकीर्ण) (ज) (H), (ट)(K) व धारा 299 के अधीन सीमान्तर्गत संचालित नर्सिंग होम, प्रसूति केन्द्र, औषधि बिक्री और निर्माण आदि का विनियमन एंव नियंत्रण करने सम्बन्धित उपविधियों को नगर पंचायत के विशेष संकल्प संख्या 10 दिनांक 01 जून, 2019 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही अंतर्गत जनसामान्य एवं प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'आज का मुद्दा' दिनांक 13 नवम्बर, 2020 (गौतमबुद्ध नगर) के पृष्ठ संख्या 11 पर तथा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'विशाल विश्व मानव' स्याना दिनांक 14 नवम्बर, 2020 के पृष्ठ संख्या 02 पर प्रकाशित किया गया। उक्त प्रकाशन पर नियत अवधि में जनसामान्य/प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

उपरोक्त स्थिति में सम्यक् विचार विमर्श उपरान्त नगर पंचायत खानपुर द्वारा सर्वसम्मति से विशेष संकल्प संख्या –8 दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 से सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि हेतु 'नर्सिंग होम, प्रसूति केन्द्र औषधि बिक्री और निर्माण' आदि का विनियमन एवं नियंत्रण करने संबंधी उपविधियो का अनुमोदन (पुष्टि कर अंतिम स्वीकृति) किया गया। उक्त उपविधियां दिनांक 01 अप्रैल, 2021 अथवा सरकारी गजट उ0प्र0 मे प्रख्यापित किये जाने की दिनांक जो भी बाद में हो, से प्रवृत्त होगी जिसका प्रकाशन उपरोक्त पालिका अधिनियम की धारा 301(2) के अधीन किया जाता है।

उपविधियां

1–(1) यह उपविधि नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर की नर्सिंग होम, प्रसूति केन्द्र, शिशुकल्याण चिकित्सा क्लीनिक, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, अल्ट्रा साऊण्ड, सी0टी0 स्केन सेण्टर, प्राईवेट क्लीनिक, औषधि बिक्री और निर्माण के स्थल चलाने के सम्बन्ध में अनुज्ञा (लाईसैन्स) जारी करने की उपविधि कहलायेगी,

(2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत खानपुर की सीमा में प्रवृत्त होंगी।

(3) यह उपविधि 01.04.2021 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, जो भी बाद में हो से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषायें–(1) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 से हैं,

(ख) "अनुज्ञापित व्यक्ति" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो इस उपविधि में वर्णित नर्सिंग होम, प्रसूति केन्द्र, शिशुकल्याण चिकित्सा क्लीनिक, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, अल्ट्रा साऊण्ड, सी0टी0 स्केन सेण्टर, प्राईवेट क्लीनिक, औषधि बिक्री और निर्माण के स्थल के भवनों का स्वामी/संचालक हो तथा नगर पंचायत खानपुर की सीमा में संस्थापित हो, ओर इस उपविधि के अधीन उसे चलाने हेतु अनुज्ञा (लाईसैस) अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो,

(ग) "अनुज्ञा–पत्र" का अर्थ इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा–पत्र से है,

(घ) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर के अधिशासी अधिकारी से है,

(ङ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर के अध्यक्ष/शासकीय व्यवस्थानुसार प्रशासक से है,

(च) "अनुज्ञा" का अभिप्राय इस उपविधि के अधीन प्रदत्त "अनुज्ञा" से है,

(छ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है,

(ज) "अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारीं" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी से है।

(झ) नगरपालिका तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर से है।

2—ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है, वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम 1916 में उनके लिए दिये गये हैं।

3—**प्रतिबन्ध**—कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत खानपुर की सीमा में नगर पंचायत से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नर्सिंग होम, प्रसूति केन्द्र, शिशुकल्याण चिकित्सा क्लीनिक, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, अल्ट्रा साऊण्ड, सी0टी0 स्केन सेण्टर, प्राईवेट क्लीनिक, औषधि बिक्री और निर्माण के स्थल के भवनों को संचालित नहीं करेगा ।

4—**अनुज्ञा (लाईसेन्स) प्रदान किये जाने की शर्तें**—अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जायेगी—

(क) नर्सिंग होम, प्रसूति केन्द्र, शिशुकल्याण चिकित्सा क्लीनिक, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, अल्ट्रा साऊण्ड, सी0टी0 स्केन सेण्टर, प्राईवेट क्लीनिक, औषधि बिक्री और निर्माण के स्थल भवनों के फर्श सीमेन्ट/मारबल के होने चाहिए,

(ख) वर्णित व्यवसायों के भवनों की समस्त दीवारें छतें पक्की होनी चाहिए तथा भवन में प्रत्येक छमाही व्हाइट वॉश (सफेदी) का होना अनिवार्य है,

(ग) कोई भी पशु वर्णित व्यवसायों/ प्रतिष्ठानों के भवनों में नहीं रहेगा और न पाला जायेगा,

(घ) कोई भी व्यक्ति जो छूत की बीमारी का रोगी हो तथाकथित व्यवसायों/प्रतिष्ठानों में कर्मचारी नहीं रखा जायेगा,

(ङ) कथित व्यवसायों के भवन को उस समय पूर्णतया खोल दिया जायेगा जबकि अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी उसका निरीक्षण करना चाहे और उनके उचित समस्त निर्देशों का पालन करेगा,

(च) दिन में कम से कम दो बार अर्थात् प्रातः और सायंकाल दोनों समय भवन के फर्श की धुलाई की जायेगी, किसी भी समय कूड़ा गन्दगी एकत्रित नहीं होगी, अनुज्ञापित व्यक्ति को अपने नर्सिंग होम अथवा क्लीनिक आदि में प्रयोग किये गये बेन्डेज एवं अन्य संक्रामक उत्सर्जन का विसंक्रमण स्वयं करना होगा उसके उपरान्त ही नगरपंचायत के खत्ते में इसे डाला जायेगा। बिना विसंक्रमित के नर्सिंग होम, प्रसूतिगृह, क्लीनिक वर्णित व्यवसाय/प्रतिष्ठानों की गन्दगी सड़क अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान पर फैलाने को अपराध माना जायेगा जो दण्डनीय होगा,

(छ) रोगियों एवं तीमारदारों के लिए एक शिकायत पुस्तिका की व्यवस्था की जायेगी यह पुस्तिका अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगी,

(ज) अनुज्ञापित व्यक्ति को अपने यहां एक रजिस्टर रखना आवश्यक होगा जिसमें वह अपने ही यहां के समस्त कर्मचारियों के स्थानीय तथा स्थाई पते मय फोटो रखेगा और यह उसका ही उत्तरदायित्व होगा कि रजिस्टर में अंकित समस्त विवरण सही और शुद्ध हो, इसके अतिरिक्त अनुज्ञापित व्यक्ति (लाईसेन्स प्राप्तकर्ता) को अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी के निर्देश पर अपने किसी कर्मचारी जो उसके यहां कार्यरत् है अथवा अधिष्ठान से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित है, की स्वास्थ्य परीक्षा अपने ही व्यय पर करानी होगी और इस आशय का प्रमाण—पत्र देना होगा कि वह कर्मचारी किसी प्रकार के संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं है, यदि किसी कर्मचारी के रोगग्रस्त होने पर अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी की आज्ञा ऐसे कर्मचारी को हटाने की होती है तो उस कर्मचारी को सेवा से तुरन्त पृथक करना होगा। प्रत्येक कर्मचारी को हैजा और म्यादी रोग की सुई (इंजेक्शन) लगवाना आवश्यक होगा,

(झ) प्रत्येक अनुज्ञापित व्यक्ति (लाईसेन्स प्राप्तकर्ता) को अपने अधिष्ठान के किसी प्रमुख स्थान पर एक साईन बोर्ड हिन्दी लिपि में अपने अधिष्ठान के नाम का लगवाना होगा,

(ञ) रोगियों, जच्चा-बच्चा आदि की सुविधा के लिये जो फर्नीचर आदि प्रयोग में लाये जायेंगे, उनको हर समय स्वच्छ रखा जायेगा,

(ट) अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) अहस्तान्तरणीय होगा,

(ठ) नर्सिग होम आदि में ऐसे प्रति ठानों में नर्स व कम्पाउण्डर का प्रशिक्षित होना आवश्यक हैं ।

स्पष्टीकरण—उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त (जो आवश्यक हों) नगर पंचायत अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं ।

5—अनुज्ञापत्र (लाईसेन्स) प्राप्त करने के लिये शुल्क—उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) के लिए निम्न शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा जो किसी भी स्थिति में वापिस नही होगा। भले ही अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) वर्ष के किसी माह मे स्वीकृत किया जाये/इसके अतिरिक्त प्रत्येक पांच वित्तीय वर्ष पश्चात् निम्नलिखित अनुज्ञा शुल्क मे दस प्रतिशत की वृद्धि कर दी जायेगी।

1	2
	रु0
(1) नर्सिंग होम 10 शैया तक	2,000.00
(2) नर्सिंग होम 20 शैया तक	5,000.00
(3) नर्सिंग होम 20 शैया से ऊपर	7,000.00
(4) प्रसूति गृह 10 शैया तक	2,000.00
(5) प्रसूति गृह 20 शैया तक	5,000.00
(6) प्रसूति गृह 20 शैया से ऊपर	7,000.00
(7) पैथालॉजी सेण्टर	1,000.00
(8) एक्सरे क्लीनिक/अल्ट्रा साऊण्ड/लैब आदि	1,000.00
(9) डेण्टल क्लीनिक	1,500.00
(10) नेत्र चिकित्सा केन्द्र/क्लीनिक	1,500.00
(11)सी0टी0स्कैन सेण्टर	3,000.00
(12) प्राइवेट क्लीनिक जहां डॉक्टर बैठते हैं	1,500.00
(13) औषधि निर्माण	3,600.00
(14) औषधि विक्रय (मेडिकल स्टोर)	900.00

6—अधिशासी अधिकारी आवेदित अनुज्ञा प्रदान करने से पहले स्थल, वाहनों के खड़े हाने के लिये यथोचित स्थान, यातायात, मे कोई अवरोध उत्पन्न न होने, पर्यावरण प्रदुषित न होने एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं पर जांच करायेगें और यदि कोई भी व्यवधान, बाधा या प्रदूषण निहित हो तो उस स्थिति मे अनुज्ञा प्रदान नही की जायेगी।

7—**अनुज्ञा—पत्र (लाइसेंस) की अवधि**—प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) जो उपरोक्त उपविधियों के आधार पर स्वीकार किया जायेगा वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होगा और नवीन अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) अथवा उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जायेगा ।

8–यदि ऐसा आवेदन-पत्र 30 अप्रैल के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है तो अनुज्ञा शुल्क के साथ रू0 100.00. प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देना होगा,

9–नर्सिंग होम और प्रसूतिगृह आदि ऐसे व्यवसाय के भवन जनमार्ग या सड़क से नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित दूरी पर ही निर्मित किया जा सकेगा जो कि भवन निर्माण के लिये बनाई गई उपविधियों के अनुरूप होगा ।

10–इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किये बिना उल्लिखित व्यवसाय/कार्य किसी भवन में संचालित नहीं किया जा सकेगा, परन्तु उक्त अपराध को नियमानुसार शमलित किया जा सकेगा।

11–वर्णित व्यवसाय के भवनों में वाहनों के खड़े करने के लिए पर्याप्त स्थान रखा जायेगा और कोई भी वाहन मार्ग/सड़क अथवा फुटपाथ पर खड़ा नहीं किया जायेगा।

12–अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि आगन्तुक व्यक्तियों के वाहनों से जनमार्ग या सार्वजनिक स्थान पर कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो अन्यथा उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त भवन के यथास्थिति स्वामी अथवा संचालक का होगा और अभियोजन सहित उसे इस उपविधि के अधीन दण्डित किया जा सकेगा,

13–कोई भी नर्सिंग होम, प्रसूतिगृह और प्राइवेट अस्पताल आदि जिसमें शैयाओं (बेड) की व्यवस्था हो, को निम्न वर्णित शर्तों के अधीन संचालन की अनुमति दी जा सकेगी–

(क) ऐसे व्यवसाय वाले भवन किसी ऐसी गली में संचालित नहीं किये जा सकेंगे जहॉ एम्बूलेन्स/रोगी को ले जाने वाले वाहन ना जा सके,

(ख) न्यूनतम् 05 शैयाओं (बैडस्) की व्यवस्था हो,

(ग) भवन में खुला स्थान एक-तिहाई से अधिक हो,

(घ) प्रत्येक आवासीय कक्ष के सामने बरामदा हो,

(ङ) संवातन, पर्यावरण और शुद्ध वायु की संतोषजनक व्यवस्था हो,

(च) स्नानागार और शैचालय की समुचित व्यवस्था हो,

14–इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किये बिना निर्मित नर्सिंग होम, प्रसूति गृह, प्राईवेट अस्पताल और शैया की व्यवस्था युक्त ऐसे ही क्लीनिक/सेन्टर आदि नगर पंचायत द्वारा ध्वस्त किये जा सकेगे। अथवा ऐसा अपराध नियमानुसार शमलित किया जा सकेगा।

15–अधिशासी अधिकारी के पूर्णतः सन्तुष्ट हो जाने पर अनुज्ञा-पत्र/लाईसेंस जारी अथवा नवीनीकृत किया जायेगा।

16–आगामी वर्ष हेतु उक्त अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) माह अप्रैल तक जारी/नवीनीकृत किये जायेगें।

17–उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में अनुज्ञा/लाईसेंस अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) को निलम्बित अथवा निरस्त कर दे।

18–अनुज्ञा निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने के उपरान्त उक्त अनुज्ञा के अधीन कोई कार्य/व्यवसाय नगर पंचायत की सीमा में जारी नही रखा जा सकेगा।

18–अधिशासी अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अध्यक्ष को आदेश की दिनांक के 30 दिन के अंदर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी जिस पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

19—यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत खानपुर के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

20—उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

शास्ति (दण्ड)

अधिनियम की धारा 299—2 प्राप्त अधिकारों से नगर पंचायत यह आदेश करती है कि पूर्वांकित उपनियमों के किसी भी निर्देश का पूर्ण अथवा आंशिक उल्लंघन होने पर रु0 5000.00 तक अर्थ दण्ड हो सकता है और निरन्तर उपेक्षा करने पर प्रथम अभिशंसा की तिथि से रु0 50.00 प्रतिदिन तक अर्थ दण्ड उस समय तक हो सकता है, जब तक अपराध करना बन्द प्रमाणित हुआ हों।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, खानपुर,
जिला बुलन्दशहर।

कार्यालय, नगर पंचायत, कुर्थीजाफरपुर, मऊ

26 जुलाई, 2021 ई0

सं0 46/न0पं0कुर्थीजाफरपुर/उपविधि/2020-21—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) के अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, कुर्थीजाफरपुर सीमा अन्तर्गत भवनों के निर्माण को नियन्त्रण करने के लिये भवन निर्माण, पुर्ननिर्माण, संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन के सम्बन्ध में उपविधि का पाण्डुलिपि नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत विहित रीति से तैयार कर दैनिक समाचार-पत्र ''अमर उजाला'' व ''दैनिक जागरण'' में दिनांक 27 जुलाई, 2021 को प्रकाशित की गयी थी, जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वे उपविधि प्रकाशन के तिथि से 30 दिन के भीतर कार्यालय नगर पंचायत, कुर्थीजाफरपुर में लिखित रूप से आपित्त/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के अन्दर एक अदद आपित्त प्राप्त हुई तथा प्राप्त आपित्त का निस्तारण कर लिया गया है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधि

1—संक्षिप्त नाम व विस्तार—यह उपविधि नगर पंचायत, कुर्थीजाफरपुर, जनपद मऊ कर भवन निर्माण उपविधि सन् 2021 के नाम से पुकारी जायेगी। इसका प्रभाव नगर पंचायत, कुर्थीजाफरपुर, जनपद मऊ की सीमा में निर्माण होने वाले भवनों पर होगा।

2—प्रभाव—यह उपविधि नगर पंचायत, कुर्थीजाफरपुर, जनपद मऊ के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

3—नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत, कुर्थीजाफरपुर, जनपद मऊ से है।

4—अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत, कुर्थीजाफरपुर, जनपद मऊ के अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक से है।

5—नगर पालिका अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

6—भवन का तात्पर्य नगर पंचायत, कुर्थीजाफरपुर, जनपद मऊ की सीमा में निर्माण होने वाले भवनों से है, जिनका निर्माण/पुर्ननिर्माण/संशोधन/परिवर्धन/परिवर्तन समय-समय पर किया जायेगा।

7—यह उपविधि के लागू होते ही नगर पंचायत, कुर्थीजाफरपुर, जनपद मऊ में प्रचलित वर्तमान नियमों के उपबन्ध उस सीमा तक जहां तक इन उपनियमों से असंगत हो, प्रभाव शून्य समझे जायेंगे।

8—(अ) भवन निर्माण संशोधन, पुर्ननिर्माण के पूर्व स्वामी/अध्यासी को नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 178 क अन्तर्गत आवेदन के साथ प्रस्तावित भवन निर्माण ड्राइंग की दो प्रति, प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करना होगा, जिसमें सेक्शन प्लान फ्रन्ट एलीवेशन कम से कम दो सेलेक्शन/जलनिकास व्यवस्था प्लान सैण्टिक है कि ड्राइंग साइट प्लान जिसमें चारों ओर से भवन व भूमि की स्थिति स्पष्ट देना होगा तथा प्रस्तावित भवन का आगणन एवं अनुसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ब) ड्राइंग 1:100 के पैमाने ब्लू प्रिन्ट पेपर पर बनाकर प्रस्तुत करना होगा।

(स) भवन निर्माण में कमरे आदि नियत क्षेत्रफल के अनुसार स्पष्ट होगा।

9—(1) कक्ष की खिड़की आदि संवातन हेतु दीवार के क्षेत्रफल का कम से कम 10 प्रतिशत होगी।

(2) दरवाजे की ऊंचाई कम से कम 1.80 मीटर कुर्सी तल पर से होगी।

(3) मुख्य बाहरी दीवाल की मोटाई कम से कम 23 सेमी0 होगी, बाउण्ड्री दीवाल की मोटाई 18 सेमी0 मोटी रखी जा सकती है।

(4) दो से अधिक मंजिल की ऊंचाई के निर्माण हेतु प्रस्तावित ड्राइंग के साथ नींव को अभिकल्प भी संकल्प करना आवश्यक होगा।

10—छत की ऊंचाई कम से कम 12 फुट होगी।

11—प्रत्येक मंजिल हेतु ड्राइंग से अलग-अलग प्लान स्पष्ट करना होगा।

12—भवन निर्माण में निम्न विवरण के अनुसार खाली क्षेत्र छोड़ देना होगा।

(क) 100 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 25% ।

(ख) 100-200 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 30% ।

(ग) 200-500 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 40% ।

(घ) 500-1000 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 50% ।

(ङ) 1000 वर्ग मी0 से अधिक वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 60% ।

13—ड्राइंग बनाने हेतु नगर पंचायत द्वारा तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों का पंजीकरण किया जायेगा, जिसको प्रतिवर्ष रु0 2,000.00 शुल्क जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रति ड्राइंग रु0 100.00 की धनराशि ड्राफ्टमैन को कार्यालय में जमा करना होगा, उपरोक्त धनराशि न जमा करने पर उनका पंजीकरण रद्द माना जायेगा।

14—नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही निर्माण कार्य किया जायेगा, जो ड्राइंग बनाने वाले पंजीकृत ड्राइंग के अनुसार कराने का प्रमाण-पत्र भी उक्त व्यक्ति को देना होगा।

15—नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध कार्य कराने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और अर्थ दण्ड रु0 1,000.00 तक वसूल किया जायेगा।

16—भवन निर्माण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रत्ये व्यक्ति को प्रस्तावित भूखण्ड का तैयार किया गया संलग्न मानचित्र सहित आवेदन-पत्र निम्नवत निर्धारित शुल्क दर के अनुसार धनराशि जमा करने के उपरान्त नगर पंचायत कार्यालय में दाखिला मान्य होगा।

(क) भवन मानचित्र के अनुसार रु0 50,000.00 (पचास हजार) से रु0 5,00,000.00 (पचास लाख) तक के लागत का 1/2 प्रतिशत धनराशि शुल्क रूप में नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

(ख) रु0 5,00,001.00 (पचास लाख एक) से रु0 10,00,000.00 (दस लाख) तक के लागत के भवन निर्माण हेतु लागत का रु0 5,000.00 (पांच हजार) शुल्क नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

(ग) रु0 10,00,001.00 (दस लाख एक) से रु0 20,00,000.00 (बीस लाख) तक लागत के भवन निर्माण हेतु अधिकतम रु0 10,000.00 (दस हजार) शुल्क नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

(घ) रु0 20,00,001.00 (बीस लाख एक) या इससे अधिक लागत तक के भवन निर्माण हेतु अधिकतम रु0 15,000.00 (पन्द्रह हजार) शुल्क नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।

(ङ) प्रोजेक्शन भू-खण्ड के क्षेत्र के बाहर सीढ़ी, छज्जा आदि निकालने की अनुमति नहीं होगी।

17–(1) निर्धारित आवेदन प्रारूप पर प्राप्त भवन निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ भू-स्वामीत्व का प्रमाण-पत्र तथा प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु ड्राइंग की दो प्रति संलग्न कर कार्यालय नगर पंचायत में जमा करना होगा।

(2) प्रार्थना-पत्र के उपरान्त प्रस्तावित भवन के चारों ओर के भू-स्वामियों को नोटिस देकर सूचित किया जायेगा कि वे एक सप्ताह के अन्दर यदि आपत्ति हो अपना पक्ष प्रस्तुत करें, यदि एक सप्ताह के अन्दर कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त निर्माण से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और स्वीकृत की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(3) प्रस्तावित ड्राइंग की आवश्यकतानुसार आख्या प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(4) प्रस्तावित निर्माण को सन्निकट सड़क, नाली, सीढ़ी, गली से तीन फीट अपनी जमीन छोड़कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(5) उपरोक्तानुसार भवन निर्माण की स्वीकृति अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी द्वारा दी जायेगी, जो स्वीकृत के दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगी।

(6) यदि निर्माण कार्य एक वर्ष में नहीं पूरा किया जा सकता है तो पुनः नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र आवेदक को निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना होगा। नवीनीकरण अगले वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

(7) एक बार स्वीकृत की अवधि बढ़ जाने पर पुनः अवधि बढ़ाने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। आवेदक को नये सिरे से अवशेष निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

18–निरीक्षण–(1) नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण ड्राइंग के अनुसार किये जा रहे निर्माण कार्य को प्रशासक/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

(2) यदि निर्माण कार्य नियम के विपरीत अथवा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया जा रहा है तो अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि निर्माण कार्य को तुरन्त रोकवा देंगे और नियम के विरुद्ध कार्य कराने पर नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 186 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

(3) इस उपविधि के अनुसार दी गयी स्वीकृति के उपरान्त यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि आवेदक द्वारा गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके नक्शा स्वीकृत करा लिया गया है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा और स्वीकृत मानचित्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) किसी भी अतिक्रमण को जो किसी भी सड़क, गली अथवा सार्वजनिक भूमि पर किया जा रहा हो तो नगर पंचायत को अधिकार होगा कि यह उसे हटवा दे।

19–नगर पंचायत को अवैध निर्माण को रोकवाने तथा अनाधिकृत निर्माण के भवन को गिराने का अधिकार धारा 186 के तहत अधिशासी अधिकारी किसी भी समय नोटिस देकर भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को किसी भवन के अथवा भवन के किसी भाग के निर्माण अथवा कोई निर्माण अथवा पुनर्निमार्ण, परिवर्तन करने से रोक सकता है। उन दिशाओं में जब कि वह ऐसा निर्माण पुनः परिवर्तन निर्माण अथवा परिवर्तन धारा 186 के अधीन अपराध समझे तो किसी भी रीति के भवन को गिराने के आदेश दे सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।

20–रेन वाटर हारवेस्टिंग की प्रक्रिया लागू करना होगा।

21–कतिपय मामलों में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 180 क में आमोद स्थल की निर्माण की स्वीकृति के समय राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन के बाद दी जायेगी।

दण्ड

नगर पंचायत, कुर्थीजाफरपुर, जनपद मऊ संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत यह आदेश देती है कि इस उपविधि के किसी भी भाग का उल्लंघन करने, भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जावें तो अग्रेतर जुर्माना किया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध के के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रु0 100.00 (सौ रुपये) तक हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
प्रशासक,
नगर पंचायत, कुर्थीजाफरपुर,
जनपद मऊ।

सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स हमारी दुनिया (Humari Duniya), रजिस्टर्ड साझेदारी फर्म, जिसका कि प्रधान कार्यालय, 1 कपूरथला काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ में स्थित है, के साझीदारों में दिनांक 16 जुलाई, 2021 से निम्न परिवर्तन हुये हैं–

वर्तमान साझेदारों के नाम, पते एवं लाभ हानि का अनुपात		परिवर्तित साझेदारों के नाम, पते एवं लाभ हानि का अनुपात	
(1) श्री नन्दलाल, 14/677, सेक्टर-14, इन्दिरा नगर, लखनऊ	(5%)	(1) श्री नन्दलाल 14/677, सेक्टर-14 इन्दिरा नगर, लखनऊ	(5%)
(2) श्री स्वपन घोष, 5/8, एक्सक्लूसिव बहार, सहारा स्टेट्स, जानकीपुरम्, लखनऊ	(5%)	(2) मेसर्स इन्दाली सिटी होम्स लखनऊ, प्राइवेट लिमिटेड, 1 कपूरथला काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ	(90%)
(3) मेसर्स इन्दाली सिटी होम्स लखनऊ, प्राइवेट लिमिटेड, 1 कपूरथला काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ।	(90%)	(3) मेसर्स हर्षद सिटी होम्स लखमपुर, प्राइवेट लिमिटेड, 1 कपूरथला काम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ।	(5%)

नन्दलाल,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम तीनों साझीदार सतीश कुमार गौड, रत्नेश गुप्ता, बैभव अग्रवाल ने पंजीकृत फर्म मेसर्स बुल्सआई वेल्थ मैनेजर्स 52/1बी ताशकन्द मार्ग, अदिति अपार्टमेन्ट कैम्पस इलाहाबाद का नाम दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को परिवर्तन कर बुल्सआई एसोसिएट्स कर दिया गया है।

सतीश कुमार गौड,
प्रथम भागीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स बिशम्बर सहाय कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री, मवाना, जिला मेरठ–250401 की साझीदारी में श्रीमती साधना रस्तोगी, श्रीमती निर्मला रस्तोगी, श्री आर्येन्द प्रकाश, श्रीमती जयरानी रस्तोगी, श्री उपेन्द्र प्रकाश, श्रीमती विनीता रस्तोगी, श्री वैभव रस्तोगी, श्रीमती विजय रस्तोगी, श्रीमती कुसुम रस्तोगी, श्रीमती राज बाला रस्तोगी, श्री रवि रस्तोगी एवं श्री सिद्धार्थ रस्तोगी साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को श्रीमती निधि रस्तोगी एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्री राहुल रस्तोगी व श्री अपूर्व रस्तोगी फर्म की साझीदारी में

सम्मिलित हुये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को श्री वैभव रस्तोगी एवं श्रीमती विजय रस्तोगी एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्रीमती निर्मला रस्तोगी, श्री आर्येन्द्र प्रकाश, श्रीमती जय रानी रस्तोगी, श्री उपेन्द्र प्रकाश व श्रीमती राज बाला रस्तोगी अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गये हैं। वर्तमान में संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्री राहुल रस्तोगी, श्रीमती निधि रस्तोगी, श्री सिद्धार्थ रस्तोगी, श्री रवि रस्तोगी, श्रीमती कुसुम रस्तोगी, श्रीमती साधना रस्तोगी, श्रीमती विनीता रस्तोगी एवं श्री अपूर्व रस्तोगी साझीदार हैं तथा संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार फर्म का नाम "मेसर्स बिशम्बर सहाय कोल्ड स्टोरेज जनरल मिल्स" हो गया है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

कुसुम रस्तोगी,
साझीदार,
मेसर्स बिशम्बर सहाय कोल्ड स्टोरेज,
जनरल मिल्स मवाना, जिला मेरठ-250401।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ओनम इण्टरप्राइजेज पता मोहल्ला नागरान मढ़ई चौक, जिला बदायूं-243601 जिसकी पंजीकरण संख्या B-11836 है फर्म में कुल चार साझेदार थे। फर्म की साझेदार श्रीमती आशा गुप्ता स्वेच्छा से फर्म से दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को अलग (रिटायर) हो गयीं श्रीमती आशा गुप्ता का फर्म पर व फर्म का श्रीमती आशा गुप्ता पर कोई बकाया शेष नहीं है व दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को श्रीमती सुनीता गुप्ता नये साझेदार के रूप में फर्म में आ गयीं एवं साझेदार श्री सूर्य प्रकाश गुप्ता जी का दिनांक 22 अप्रैल, 2019 को निधन हो गया जो श्री ओनम गुप्ता के पिता थे। साझेदार श्री इबादुर्रहमान स्वेच्छा से फर्म से दिनांक 22 अप्रैल, 2019 को अलग (रिटायर) हो गये श्री इबादुर्रहमान का फर्म पर व फर्म का श्री इबादुर्रहमान पर कोई बकाया शेष नहीं। अब फर्म में कुल दो साझेदार हैं। 1–श्री ओनम गुप्ता, 2–श्रीमती सुनीता गुप्ता। वर्तमान में फर्म में एवं साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

ओनम गुप्ता,
कन्टिन्यू पार्टनर,
मेसर्स ओनम इण्टरप्राइजेज,
पता–मोहल्ला नागरान, मढ़ई चौक,
जिला बदायूं-243601,
पंजीकरण सं0 B-11836।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्याम नारायण रमेश कुमार, मेकेनियर रोड प्रेमनगर, तहसील एण्ड डिस्ट्रिक्ट बरेली, उ0प्र0, पिनकोड-243001 फर्म में कुल 3 साझेदार थे जिसमें कुसुम गोयल को दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को फर्म से इनका नाम हटा दिया गया है इनका साझेदारी से सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार साझेदारों का फर्म पर या साझेदारों पर तथा फर्म का साझेदारों पर कोई लेन-देन बकाया नहीं रह गया है अब फर्म में कुल 2 साझेदार अनूप कुमार गोयल, श्रीजी गोयल तथा फर्म में एवं साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

अनूप कुमार गोयल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स वी0 पी0 कोल्ड स्टोरेज एण्ड जनरल मिल्स, मवाना, जिला मेरठ–250401 की साझीदारी में श्रीमती कुसुम रस्तोगी, श्री उपेन्द्र प्रकाश रस्तोगी, श्रीमती जय रानी रस्तोगी, श्रीमती राज बाला रस्तोगी, श्रीमती पायल रस्तोगी, श्री अरविन्द रस्तोगी एवं श्री राहुल रस्तोगी साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को श्रीमती पायल रस्तोगी, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को श्रीमती राज बाला रस्तोगी एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्रीमती जय रानी रस्तोगी अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गयी हैं। वर्तमान में संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्री अरविन्द रस्तोगी, श्रीमती कुसुम रस्तोगी, श्री उपेन्द्र प्रकाश रस्तोगी एवं श्री राहुल रस्तोगी साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अरविन्द रस्तोगी,
साझीदार,
मेसर्स वी0 पी0 कोल्ड स्टोरेज एण्ड,
जनरल मिल्स मवाना, जिला मेरठ–250401।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स एस0 पी0 कोल्ड स्टोरेज एण्ड जनरल मिल्स, मवाना, जिला मेरठ-250401 की साझीदारी में श्रीमती निर्मला रस्तोगी, श्री सुमन

प्रकाश, श्रीमती विजय रस्तोगी, श्रीमती कुसुम रस्तोगी, श्रीमती राज बाला रस्तोगी, श्रीमती चित्रा रस्तोगी, श्रीमती कंचन रस्तोगी, श्रीमती जय रानी रस्तोगी साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को श्री रवि रस्तोगी एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को पुनीत रस्तोगी फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को श्रीमती विजय रस्तोगी एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्रीमती निर्मला रस्तोगी, श्री सुमन प्रकाश, श्रीमती राज बाला रस्तोगी एवं श्रीमती जय रानी रस्तोगी अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। वर्तमान में संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्री रवि रस्तोगी, श्रीमती कुसुम रस्तोगी, श्री पुनीत रस्तोगी, श्रीमती चित्रा रस्तोगी एवं श्रीमती कंचन रस्तोगी साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रवि रस्तोगी,
साझीदार,
मेसर्स एस0 पी0 कोल्ड स्टोरेज एण्ड
जनरल मिल्स मवाना, जिला मेरठ-250401।

सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री विश्वकर्मा बिल्डर्स, पता 159, शास्त्री कालोनी, निकट आर्य नगर, कंकरखेड़ा, मेरठ में श्रीमती नीरज देवी, श्री नीरज कुमार, श्री परमिन्दर तेवतिया, श्री मन्दीप लाम्बा, श्रीमती रविन्द्री देवी, श्रीमती मोनिका तेवतिया फर्म से अलग हो गये हैं।

अब फर्म में श्री अर्जुन सिंह, श्री कुशाल पाल सिंह, श्रीमती अनुराधा, श्रीमती ज्योति गोयल, श्रीमती मन्जू विहान, श्री कुलदीप कुमार, श्रीमती प्राची राणा, श्रीमती सुगम रानी शेष हैं

पार्टनर,
अर्जुन सिंह,
मेसर्स–श्री विश्वकर्मा बिल्डर्स,
159, शास्त्री कालोनी,
निकट–आर्य नगर, कंकरखेड़ा, मेरठ।

सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ए टू जेड बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स, पता के-6, पल्लवपुरम, फेस-2, मोदीपुरम, मेरठ में श्री विनोद कुमार, डॉ0 सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री राज कुमार, श्रीमती कोमल राज, श्रीमती राजबाला, श्रीमती मोनिका तेवतिया फर्म से अलग हो गये एवं श्री मनोज कुमार, श्री सत्यम, श्री ललित, श्री अरुण तोमर, श्री भूपेन्द्र, श्री परवीन कुमार, वैशाली तोमर, श्री विशाल तोमर, श्रीमती ऊषा, श्रीमती नितिका विहान, श्री सतेन्द्र कुमार, श्री सुबोध कुमार, श्री सुनील कश्यप, श्री नीरज नरेश, श्रीमती रन्जना राणा, श्री कार्तिकेय राणा, श्री अतुल चौधरी सम्मिलित हुये हैं। अब श्री जितेन्द्र कुमार, श्री पंकज राणा, श्री दीपक कुमार विहान, श्री अमित चौधरी, पुष्पा कुमारी, श्री नवनीत गोयल, डॉ0 यशपाल सिंह, श्रीमती प्रिया यादव, श्री मनोज कुमार, श्री सत्यम, श्री ललित, श्री अरूण तोमर, श्री भूपेन्द्र, श्री परवीन कुमार, वैशाली तोमर, श्री विशाल तोमर, श्रीमती ऊषा, श्रीमती नितिका विहान, श्री सतेन्द्र कुमार, श्री सुबोध कुमार, श्री सुनील कश्यप, श्री नीरज नरेश, श्रीमती रन्जना राणा, श्री कार्तिकेय राणा, श्री अतुल चौधरी फर्म में हैं।

पार्टनर,
जितेन्द्र कुमार,
मेसर्स ए टू जेड बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स,
के-6, पल्लवपुरम, फेस-2, मोदीपुरम, मेरठ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "डायनामिक एक्सपोर्ट्स", लाकड़ी फाजलपुर, दिल्ली रोड, जिला मुरादाबाद (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को श्री सुरेन्दर मुंजियाल पुत्र स्व0 डॉ0 एल0 आर0 मुंजियाल, निवासी सी-2, मानसरोवर कालोनी, दिल्ली रोड, जिला मुरादाबाद का देहान्त हो गया है तथा दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को श्रीमती दीपिका मुंजियाल पत्नी श्री प्रफुल मुंजियाल निवासी सी-2, मानसरोवर कालोनी, दिल्ली रोड, जिला मुरादाबाद शामिल हो गई हैं तथा अब वर्तमान में छः पार्टनर श्री साकेत मुंजियाल, श्री प्रतीक मुंजियाल, श्री प्रफुल मुंजियाल, श्रीमती रीमा मुंजियाल, श्रीमती शिल्पी मुंजियाल व श्रीमती दीपिका मुंजियाल हो गये हैं।

साकेत मुंजियाल,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स "डायनामिक एक्सपोर्ट्स",
लाकड़ी फाजलपुर, दिल्ली रोड,
जिला मुरादाबाद (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स संतोष मोटर्स, तुलसी धाम, लारी स्टाप, अकबरपुर, कानपुर देहात, उ0प्र0-209101 की भागीदारी डीड, दिनांक 30 जून, 2014 के अनुसार फर्म का पंजीकरण संख्या के-11311 पर दिनांक 16 जून, 2015 को पंजीकृत है। फर्म में श्री संतोष कुमार ओमर व श्रीमती ममता ओमर भागीदार थीं। भागीदारी

डीड दिनांक 22 अप्रैल, 2021 के अनुसार साझीदारी में श्रियांगी ओमर व शिवांगी ओमर पुत्रीगण संतोष कुमार ओमर को शामिल किया गया है तथा श्री संतोष कुमार ओमर स्वेच्छा से साझीदारी से पृथक् हो गये हैं और उनका स्वर्गवास दिनांक 24 अप्रैल, 2021 को हो गया है। वर्तमान में श्रीमती ममता ओमर, श्रियांगी ओमर, शिवांगी ओमर साझीदार हैं।

पार्टनर,
श्रीमती ममता ओमर,

सूचना

फर्म मे0 चाहर ब्रदर्स गॉव बाद, पो0 ककुआ, तह0 सदर जिला आगरा पत्रावली संख्या एजीआर/0007534 में दिनांक 05 अक्टूबर, 2019 को श्री विजयवीर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी घूरेला कागारौल, आगरा अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हुये तद्दिनांक को श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह, निवासी घूरेला कागारौल, आगरा फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को प्रथम पक्ष श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह, निवासी नगला घूरेला कागारौल आगरा द्वितीय पक्ष श्री अतर सिंह पुत्र स्व0 शेर सिंह, निवासी ग्वालियर रोड, पो0 ककुआ गॉव बाद आगरा तृतीय पक्ष किशन सिंह पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी पो0 दयोरेठा वानपुर नगला हीरामन आगरा तीनों साझेदारों की आपसी सहमति से फर्म का विघटन कर दिया गया है साझेदारों का फर्म व अन्य से कोई लेन देन बकाया नहीं है।

मनमोहन सिंह,
साझेदार,
मे0 चाहर ब्रदर्स, गॉव बाद,
पो0 ककुआ, तह0 सदर, जिला आगरा।

सूचना

फर्म मे0 एम0 एस0 इण्डस्ट्रीज 10 बालाजी नगर कमला नगर, आगरा पत्रावली संख्या एजीआर/0009032 में दिनांक 08 नवम्बर, 2021 को श्री संजय अग्रवाल पुत्र स्व0 सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, निवासी 10 बालाजी नगर कमला नगर, आगरा, श्रीमती रश्मि अग्रवाल पुत्र स्व0 सुशील कुमार अग्रवाल, निवासी 10 बालाजी नगर कमला नगर, आगरा अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हुये वर्तमान में भागीदार मनीष जैन, श्रीमती स्वाती जैन हैं।

मनीष जैन,
साझेदार,
मे0 एम0 एस0 इण्डस्ट्रीज,
10 बालाजी नगर कमला नगर, आगरा।

NOTICE

I, Vindhya Yadav, wife of Late Shri Kamla Prasad Yadav, Resident of 128 A-Dropdi Vihar, Laxmanpuri, Lucknow, Pin code 226016. I was know as Vindhyawati Devi before Marriage. After Marriage I am known by the name of ''Windhya Yadav'' My all Documents (PAN Card, Aadhar Card etc.) have name Vindhya Yadav. My name is wrongly mentioned as ''Vidyamati Devi Yadav'' in my husband's service Record Document. I declare my name as ''Vindhya Yadav'' W/o Late Kamla Prasad Yadav, Retired as Senior Section Engineer from N.E. Railway Gorakhpur.

VINDHYA YADAV.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री राम राजा स्टोन क्रेशर, पता-1346, कुंजबिहार कालोनी पर स्थित है। उपरोक्त फर्म के साझेदार 1-तरूण गुप्ता, 2-रेखा गुप्ता, 3-अभि गुप्ता अव्यस्क जरिये संरक्षक माता श्रीमती आशा गुप्ता थे। दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 से अभि गुप्ता अव्यस्क जरिये संरक्षक माता श्रीमती आशा गुप्ता स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। उनके स्थान पर श्रीमती श्रुति दुबे पत्नी श्री तरूण गुप्ता फर्म के साझेदार होंगे। आगे से उपरोक्त फर्म का संचालन तरूण गुप्ता, रेखा गुप्ता एवं श्रुति दुबे द्वारा किया जायेगा।

वास्ते- रेखा गुप्ता।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राम राजा स्टोन क्रेशिंग इण्डस्ट्रीज, पता-1346, कुंजबिहार कालोनी पर स्थित है। उपरोक्त फर्म के साझेदार 1-तरूण गुप्ता, 2-आशा गुप्ता, 3-श्रुति दुबे थे। दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 से आशा गुप्ता स्वेच्छा से अलग हो गई हैं। आगे से उपरोक्त फर्म का संचालन तरूण गुप्ता एवं श्रुति दुबे द्वारा किया जायेगा।

वास्ते-तरूण गुप्ता।

पी0एस0यू0पी0—35 हिन्दी गजट—भाग 8—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।